

सूचना का अधिकार

अधिनियम— 2005

धारा—4 के अन्तर्गत

17 बिन्दुओं का मैनुअल

पिथौरागढ़ वन प्रभाग,

पिथौरागढ़

(वर्ष 2013—14 माह मार्च, 2014 तक)

mÙkj k [k.M ou foHkkx
dk deZ

उत्तराखण्ड की जनता हेतु
लोक केन्द्रित विधि से
इकोसिस्टम को संरक्षित करना
और प्राकृतिक वनों की
सुरक्षा—विकास एवं प्रबन्धन
करना ।

विषय सूची

क्र०सं०	विवरण		पृष्ठ सं०
1	बिन्दु संख्या 1	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के प्रमुख उद्देश्य	4
2		प्रभाग की विशिष्टियां: कृत्य एवं कर्तव्य	5
3		प्रभाग का प्रशासनिक ढाँचा	6-9
4		प्रभाग का जनपदवार वनों का क्षेत्रफल	10
5	बिन्दु संख्या 2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	11-22
6	बिन्दु संख्या 3	लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूची	23-34
7	बिन्दु संख्या 4	नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	35
8	बिन्दु संख्या 5	दस्तावेज, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों के अनुसार	36-38
9	बिन्दु संख्या 6	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण एवं संकलन	39-43
10	बिन्दु संख्या 7	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	44
11	बिन्दु संख्या 8	निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)	45
12	बिन्दु संख्या 9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	46-48
13	बिन्दु संख्या 10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक परिलब्धियां और उसके निर्धारण की पद्धति	49
14	बिन्दु संख्या 11	आबंटित बजट, व्यय प्रस्ताव एवं धन विवरण	50-56
15	बिन्दु संख्या 12	अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	57-60
16	बिन्दु संख्या 13	रियायतों/अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	61
17	बिन्दु संख्या 14	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	62
18	बिन्दु संख्या 15	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना में ब्यौरे	63
19	बिन्दु संख्या 16	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष आदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी हो तो उसका विवरण	64
20	बिन्दु संख्या 17	अन्य सूचनाओं का संग्रहण (17.1से 17.5)	65-70

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के प्रमुख उद्देश्य

- ✘ प्रभाग के प्राकृतिक एवं रोपित वनों का संरक्षण, विकास एवं वैज्ञानिक तथा विवेकपूर्ण प्रबन्धन।
- ✘ प्रभाग में स्थित विभिन्न प्रकार की अवनत भूमि में वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन।
- ✘ सामुदायिक, संस्थागत एवं निजी भूमि में सामाजिक अथवा कृषि वानिकी वृक्षारोपण।
- ✘ प्रभाग के वन्य जीवों का संरक्षण।
- ✘ नदियों, झीलों व जलाशयों के जलागम क्षेत्रों एवं जल संरक्षण कार्यों का क्रियान्वयन।


1.

प्रभाग की विशिष्टियाँ : कृत्य एवं कर्तव्य

- वन व वन्य जीवों का संरक्षण, सुधार व विकास।
- मृदा एवं जल संरक्षण।
- वनों का सतत प्रबन्धन।
- वन अपराधों पर नियंत्रण व उनकी रोकथाम राष्ट्रीय वन नीति व उत्तरांचल वन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यवाही।
- वन संरक्षण अधिनियम— 1980, भारतीय वन अधिनियम— 1927, वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम— 1972, वन उपज अभिवहन नियमावली 1978, उत्तरांचल लीसा अधिनियम व नियमावली, वृक्ष संरक्षण अधिनियम— 1978, आरा मशीन नियमावली तथा अन्य वन संरक्षण एवं प्रबन्धन सम्बन्धी, अधिनियमों/नियमों का क्रियान्वयन।

fi Fkk\$ kx<+ou i Hkkx dk i' kkl fud <kpk

वन प्रभाग, पिथौरागढ़



वन प्रभाग का क्षेत्रफल एवं संक्षिप्त विवरण—

पिथौरागढ़ वन प्रभाग उत्तरी अक्षांश N29°32' से 30°09' एवं पूर्वी देशान्तर E79°50' से 80°42' के बीच स्थित क्षेत्रीय वन प्रभाग है जिसका कार्य क्षेत्र पिथौरागढ़ जनपद के भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित क्षेत्र है। प्रभाग अन्तर्गत आरक्षित, पंचायती, सिविल व निजी वनों का विवरण निम्नानुसार है:—

आरक्षित वन—	75583.16	हे०	(प्रभाग के प्रबन्धन में)
सिविल वन—	41748.00	हे०	(राजस्व विभाग के प्रबन्धन में)
पंचायती वन—	277175.09	हे०	(वन पंचायतों के प्रबन्धन में)
निजी वन—	1192.525	हे०	—
योग—	395698.775	हे०	

रेंजवार वनों के क्षेत्र का विवरण—

क्र०सं०	रेंज का नाम	क्षेत्रफल हे०			योग
		आरक्षित	सिविल	पंचायती	
1	धारचूला	15467.80	3480.83	81333.84	100282.47
2	अस्कोट	13514.30	3958.54	15684.22	33157.06
3	डीडीहाट	9571.90	9000.21	14273.36	32845.47
4	मुनस्यारी	18611.90	6894.92	143369.03	168875.85
5	गगोलीहाट	6329.20	4747.66	6445.01	17521.87
6	बेरीनाग	8259.70	3735.64	4837.36	16832.70
7	पिथौरागढ़	3828.36	9930.20	11232.27	24990.83
योग		75583.16	41748.00	277175.09	394506.25
उक्त के अतिरिक्त निजी वनों का क्षेत्रफल निम्नवत् है—					1192.525
कुल योग					395698.775

रेंजवार / बीटवार क्षेत्रफल

क्र०सं०	रेंज का नाम	बीट का नाम	मुख्यालय	क्षेत्रफल (हे० में)
1	पिथौरागढ़	थलकेदार	थलकेदार	1011.60
		गुरना	गुरना	768.36
		सौडलेख	सौडलेख	761.20
		चण्डाक	चण्डाक	247.20
		कलपानीगाड़	दिगतोली	422.90
		दिगतोली	दिगतोली	617.10
		6 बीट	योग—	3828.36
2	डीडीहाट	ध्वज	सतगढ़	308.80
		जोरासी	जोरासी	1190.70
		लौडी	काण्डा	957.80
		ओगला	ओगला	1306.60
		सानदेव	सानदेव	1168.50
		जाडापानी	आदिचोरा	1031.20
		नौलडा	नौलडा	1838.60
		हनिया	चोबाटी	813.40
		कमतोली	चिडियाखान	956.30
		9 बीट	योग—	9571.90
3	अस्कोट	पय्या	सल्याडी	1011.70
		कूणा	कूणा	1124.80
		प०धनधूरा	कूटा	750.00
		पू०धनधूरा	गराली	2013.60

		उ०धनधूरा	घरूडी	2137.70
		कनार	कनार	1471.20
		मजथाम	बरम	1150.60
		उ० डफिया	लुम्ती	993.80
		कुरखेती	कनार	1552.80
		द०डफिया	मैतली	888.40
		सिरथाम	सिरथाम	419.70
		11 बीट	योग-	13514.30
4	धारचूला	दुग प्रथम	खेत	2039.70
		दुग द्वितीय	खेत	2839.30
		दुग तृतीय	खेत	2360.70
		हीरागुमरी प्रथम	पांगू	2245.00
		हीरागुमरी द्वितीय	सुवा	1992.50
		ज्योतिपांगू	पांगू	2170.70
		सोवला	तीजम	1819.90
		7 बीट	योग-	15467.80
5	गंगोलीहाट	पौधार	मडकनाली	870.50
		धूरा	धूरानाली	424.10
		बोयल	पोखरी	844.10
		लमकेश्वर	दशाईथल	944.10
		गौरादेवी	तपोवन	406.70
		जल्ली	पटान	488.90
		सोर	काकड़	914.20
		वासुकीनाग	बाजड	931.20
		वनकोट	वनकोट	505.40
		9 बीट	योग-	6329.20
6	बेरीनाग	उत्तरी कोटेश्वर	बेरीनाग	1253.30
		दक्षिणी कोटेश्वर	चौडमन्या	753.90
		बेरीनाग	चौडमन्या	635.30
		चौकोडी बेरीनाग	बेरीनाग	919.40
		खमलेख	जयनगर	956.20
		दशौली	पांखू	1443.80
		कालीनाग	सुनेती	2297.80
		7 बीट	योग-	8259.70
7	मुनस्यारी	अट्ठासी	उच्छैती	1831.70
		गोल्फा	सेरा	1365.80
		मदकानी	मदकोट	1286.80
		जिमिर्यो	जिमिर्यो	579.50
		खुलिया	मुनस्यारी	2496.90
		हूम प्रथम	कोटा	1314.10
		हूम द्वितीय	मुनस्यारी	1360.20
		नमिक प्रथम	सेणराथी	1912.20
		नमिक द्वितीय	डोर	2501.30
		मजिया का डाडा प्रथम	नाचनी	1375.90
		मजिया का डाडा द्वितीय	वनिक	2587.50
		11 बीट	योग-	18611.90
	कुल योग-	60 संख्या		75583.16

अक्षेत्रीय बीट			
मुनस्यारी	बुर्फू	बुर्फू	1791.053
	रालम	रालम	1475.513
	बोगडियार	बोगडियार	2201.089
	मर्तोली	मर्तोली	3190.797
योग:-	4 बीट	—	8658.452
क्षेत्रीय बीट	60	—	75583.16
अक्षेत्रीय बीट	4	—	8658.452
कुल:-	64 बीट	—	84241.612

पिथौरागढ़ वन प्रभाग का जनपदवार वनों का क्षेत्रफल

जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल (हे०)	आरक्षित वन (हे०)	सिविल वन (हे०)	पंचायती वन (हे०)	निजी वन (हे०)
1	2	3	4	5	6
पिथौरागढ़	725000.00	75583.16	41748.00	277175.09	1192.525
योग:-	725000.00	75583.16	41748.00	277175.09	1192.525
नोट:-भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष वनों का क्षेत्रफल:- 54.57 %					

पिथौरागढ़ वन प्रभाग के अधीन आरक्षित वन क्षेत्रों का प्रजातिवार विवरण

वृत्त का नाम	प्रभाग का नाम	प्रजाति	क्षेत्रफल है० में	प्रतिशत
1	2	3	4	5
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	साल	1084.24	1.43
		तानसेन	4606.80	6.09
		रागा	764.20	1.01
		चीड़	23738.17	31.41
		देवदार	72.40	0.09
		बॉज / ओक	11571.01	15.31
		रियोँज	2370.20	3.14
		सुरई	1387.60	1.84
		खरसू	9042.63	11.96
		तिमसू	4600.80	6.09
		विविध निम्न	2404.60	3.18
		विविध उच्च	1796.10	2.38
		चटानी रिक्त	8265.07	10.93
		हिमाद्री	3716.30	4.92
हस्तान्तरित क्षेत्र	163.04	0.22		
	योग :-		75583.16	100

2.

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

प्रभाग का मुखिया प्रभागीय वनाधिकारी होता है। इनका कार्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन व अनुश्रवण करना, किये गये कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करना तथा वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करना है। प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी ही आहरण वितरण अधिकारी भी होता है। प्रभाग के समस्त कार्य प्रभागीय वनाधिकारी के नियंत्रण में होते हैं। प्रभागीय वनाधिकारी अपने वित्तीय अधिकारों के तहत अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को एक माह का वेतन अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने का अधिकार है। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी को एक बार में आकस्मिक व्यय/स्टेशनरी व सामग्री क्रय हेतु रु० 15,000/- तक तथा इससे अधिक रु० 1,00,000/- तक प्रभाग में गठित क्रय समिति की सस्तुति पर क्रय किये जाने का अधिकार है। वानिकी कार्यों हेतु रु० 1.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं स्वीकृति देने का अधिकार है। रु० 1.00 लाख की निविदा को स्वीकृत करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी सक्षम है। प्रभाग के अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल व तीन माह के मूल वेतन के बराबर जी०पी०एफ० अग्रिम देने का भी अधिकार है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त/मृत्यु पर जी०पी०एफ० में जमा समस्त धनराशि की स्वीकृति जारी करने का अधिकार है।

उप प्रभाग स्तर पर उप प्रभागीय वनाधिकारी हैं। जो प्रभागीय वनाधिकारी को प्रभाग के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ रेंज के कार्यों का अनुश्रवण भी करते हैं।

रेंज स्तर पर वन क्षेत्राधिकारी तैनात होता है। वन क्षेत्राधिकारी रेंज का मुखिया होता है। रेंज से सम्बन्धित समस्त वानिकी कार्य वन क्षेत्राधिकारी के निर्देशन एवं नियंत्रण में सम्पादित किये जाते हैं। कार्यों का अनुश्रवण व मूल्यांकन इनके द्वारा किया जाता है। रेंज के अन्तर्गत सभी वन अपराधों के नियंत्रण का दायित्व भी वन क्षेत्राधिकारी का होता है।

सेक्शन स्तर पर सैक्शन अधिकारी (वन दरोगा/उपराजिक) तैनात होता है। जो अपने सैक्शन के अन्तर्गत आने वाली बीटों के वानिकी कार्यों का तथा वन अपराधों पर नियंत्रण रखता है।

बीट स्तर पर वन आरक्षी/बीट अधिकारी तैनात होते हैं। जो अपने बीट के अन्तर्गत वानिकी से सम्बन्धित तथा वन अपराधों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं।

अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य अनुवर्ती पृष्ठों में दिये गये हैं।

शासनादेश संख्या ए-2-88/दस-97-24(15)/95 दिनांक 7 मई, 1997 का अनुलग्नक

अधिकार	अधिकार की प्रकृति	किसके द्वारा व्यवहारित	प्रतिनिधायन की सीमा	विशेष शर्त यदि कोई हो
वन लेखा नियम के पैरा 151 तथा 152	विशेष परिस्थितियों में स्थायी अधिष्ठान के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन के अग्रिमों को स्वीकृत करना	वन संरक्षक तथा प्रभागीय वनाधिकारी	वन लेखा नियम के पैरा 151 व 152 के अनुसार	
शासनादेश संख्या 340/14-288 दि. 17.8.34	टाँगिया कृषकों को नकद अग्रिम की स्वीकृत करना	वन संरक्षक	प्रत्येक टाँगिया क्षेत्र में 500/- की सीमा तक	
शासनादेशों के नियम संग्रह एम.जी.ओ. का पैरा 802 शासनादेश संख्या ए-2-970/दस-96 दि. 28 जून 1996	पुस्तकें तथा पाक्षिक अपने तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए किताबें, समाचार पत्र पाक्षिक, नक्शे तथा अन्य प्रकाशनों का क्रय करना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र-1 के अनुसार		
शासनादेश संख्या ए-1-3431/ दस-14-9 /61 दि. 12 9.1961 तथा शासनादेश संख्या ए-1-3142 पी.एम./ 18जी-157पी.एस. -64 दि. 26 जून 1987	अपने तथा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोगाथ सीधे राजकीय मुद्रणालय से संदर्भ पुस्तकें व शुद्ध पर्चियों का प्राप्त करना	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
शासनादेश संख्या ए-1304/ दस-205 /61 दि. 24 सितम्बर 194 तथा शासनादेश संख्या ए-2-970 दस-96-24-7/95 दिनांक 28 जून 1996	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन आवासीय भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर भवनों का जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र 16 के अनुसार		
शासनादेश संख्या ए-1-3431/ दस-14-9 /61 दि. 12.9.1961 तथा शासनादेश संख्या ए-2-1702-1/दस-14/30-73दिनांक 25 अगस्त 1973 शा0सं0 ए-2-970/दस-96 दिनांक 28 जून 1996	अनावासिक सरकारी भवनों जिनकी सरकारी प्रयोग हेतु आवश्यकता नहीं है को पट्टे पर देना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र-16 के अनुसार		
शासनादेश संख्या ए-1-3431/ दस-14-9 /61 दि. 12 9.1961 शा0सं0 ए-2-970/दस-96 दिनांक 28 जून 1996	भण्डार सामग्री, स्टोर्स मैटीरियल औजार और संयंत्र इत्यादि के संग्रह करने के निमित्त किराये पर लिए गए गोदामों का किराया स्वीकृत करना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र-3 के अनुसार		
शा0सं0 ए-2-1807/दस-14(26)/73 दिनांक 12 सितम्बर 1973 शा0सं0 ए-2-970/दस-96(24)/7/95 दिनांक 28 जून 1996	पूँजीगत व्यय निम्नांकित के लिए पूँजीगत व्यय स्वीकृत करना क- हाथियों के क्रय हेतु	प्रमुख वन संरक्षक	पूर्ण अधिकार आय-व्ययक व्यवस्था के अधीन	1-हाथियों को अनुरक्षित रखे जाने हेतु स्वीकृत अधिष्ठान में, विना शासन की स्वीकृति के वृद्धि न की जाय

	<p>ख- अन्य मदें</p> <p>1- भण्डारों का क्रय</p> <p>2- औजारों तथा संयंत्रों का क्रय</p> <p>3- कार्यालय फर्नीचर का क्रय</p> <p>4- नयी साज-सज्जा का क्रय</p> <p>5- निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं का क्रय</p>	<p>मुख्य वन संरक्षक</p> <p>1- मुख्य वन संरक्षक</p> <p>2- वन संरक्षक</p> <p>3- उप वन संरक्षक</p> <p>वित्तीय नियम संग्रह</p> <p>खण्ड- 1 के विवरण</p> <p>पत्र- 20 के अनुसार</p> <p>उपरोक्त</p> <p>1-वन संरक्षक</p> <p>2-उप वन संरक्षक</p>	<p>पूर्ण अधिकार स्टोर्स परचेज रूल्स के नियम- 7 में दी गयी सीमाओं और शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार</p> <p>पूर्ण अधिकार</p> <p>रु. 5000/- की सीमा तक</p>	<p>2-फर्नीचर के क्रय विषयक अधिकारों का प्रयोग आवासीय भवनों के लिए फर्नीचर के क्रय में न किया जाय ।</p> <p>3- वन संरक्षक/उप वन संरक्षक द्वारा औजारों तथा संयंत्रों का क्रय एक वर्ष में प्रतिनिहित सीमा से अधिक न किया जाय ।</p> <p>4-तम्बुओं के बारे में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार</p>
<p>न्याय विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1932 / ई - 497-73 दिनांक 15-7-1977</p>	<p><u>संविदायें तथा निविदायें</u></p> <p>वनों के प्रशासन एवं विभाग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में संविदाओं प्रतिभूति, अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को निष्पादित करना</p>	<p>1-मुख्य वन संरक्षक</p> <p>2- वन संरक्षक</p> <p>3- प्रभागीय वनाधिकारी</p>	<p>स्तम्भ-1 में उल्लिखित न्याय विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार</p>	
<p>शासनादेश सं. ए-2-1807/दस-14(26)/73 दिनांक 12.9.73</p>	<p>सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु निविदायें स्वीकार करना</p>	<p>1-प्रमुख वन संरक्षक</p> <p>2-मुख्य वन संरक्षक</p> <p>3-वन संरक्षक</p> <p>4-उप वन संरक्षक</p> <p>5-सहायक वन संरक्षक</p>	<p>रु. 30 लाख तक की सीमा तक</p> <p>रु. 10 लाख "</p> <p>रु. 5 लाख "</p> <p>रु. 1 लाख "</p> <p>रु. 10हजार "</p>	
<p>वन नियम संग्रह</p>	<p>क- स्थायी अधिष्ठान एवं पदों का स्थानान्तरण करना</p> <p>ख- प्रभागों के अधीनस्थ वन सेवा तथा लिपिक वर्गीय अधिष्ठान हेतु स्वीकृत वेतन की सम्पूर्ण धनराशि का वितरण करना</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक</p> <p>मुख्य वन संरक्षक</p> <p>वन संरक्षक</p> <p>उपरोक्त</p>	<p>वन नियम संग्रह के अनुसार</p> <p>उपरोक्त</p>	
<p>वन नियम संग्रह</p>	<p>वन विभाग का अस्थायी अधिष्ठान</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक</p> <p>मुख्य वन संरक्षक</p> <p>वन संरक्षक</p>	<p>वन नियम संग्रह सॉतव संस्करण के पैरा 47-49 के अनुसार</p>	

अधिकार	अधिकार की प्रकृति	किसके द्वारा व्यवहारित	प्रतिनिधायन की सीमा	विशेष शर्त यदि कोई हो
शा0सं0 ए-1-3431/दस/14(9)/61 दिनांक 12 सितम्बर 1961	<u>सामान्य अधिकार</u> फारेस्ट सर्वे आफ इण्डिया/सर्वे आफ इण्डिया से वनों के नक्शों के तैयार करने/मुद्रण करने के सम्बन्ध में व्यय की स्वीकृति	1-प्रमुख वन संरक्षक 2-मुख्य वन संरक्षक	15हजार की सीमा तक 10हजार की सीमा तक	बशर्ते कि व्यय संबंधित आय-व्ययक से पूरा किया जा सके
शा0सं0 ए-2-1637/दस/75(9)/61 दिनांक 26 जून 1975	विभाग के लिए सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्यय जिसके लिए अन्यत्र कोई विशिष्ट प्रतिनिधायन नहीं किया गया हो, स्वीकृत करना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र-8 के अनुसार		
शा0सं0 3071/चोदह-बी दिनांक 4 मई 1961 शासनादेश सं. ए-2-1807/दस-14(26)/73 दिनांक 12.9.73	<u>वन उपजों का आदान प्रदान करना</u> क-विना मूल्य के अथवा उचित मूल्य पर वन उपजों को प्रदान किए जाने की स्वीकृति देना ख-पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विना मूल्य के अथवा उचित मूल्य पर वन उपज के प्रदान किए जाने की स्वीकृति देना	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 का परिशिष्ट-10	<u>गर्मी से सम्बन्धित व्यय</u> गर्मी के निदान के लिए अधिष्ठान व सज्जीकरण से सम्बन्धित व्यय की स्वीकृति देना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के परिशिष्ट-10 के अनुसार		
शा0सं0 230/नौ-226 दिनांक 10 मार्च 1934	<u>अवकाश वेतन</u> अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन लिपिक वर्ग से संबंधित सरकारी सेवकों तथा दूसरी अधीनस्थ सेवाओं द्वारा अनियमित रूप से आहरित स्थानापन्न व प्रोन्नत वेतन तथा अत्याहरित अवकाश वेतन की वसूली को त्यागने का अधिकार	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
एफ.एम.सात पैरा-229 शा0सं0 ए-2 - 1807 /दस-14(26)/73 दिनांक 12 सितम्बर 1973	<u>दवाएँ</u> वन कार्यालयों के लिए निर्धारित दवाइयों का क्रय करना	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
एफ.एम.सात पैरा-277 शा0सं0 331/14-49 दिनांक 17.4.1927	<u>अधिवक्ता शुल्क</u> अपराधिक अपराधों में अभियोजन हेतु अधिवक्ता फीस पर हुए व्यय की स्वीकृति देना	1-प्रमुख वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक 2-वन संरक्षक 3-प्रभागीय वनाधिकारी	प्रत्येक मामले में 5000-तक ,, 2500/-तक ,, 1000/-तक	निम्नांकित शर्तों के अधीन 1-अभियोजन के सम्बन्ध में गृह विभाग की वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी (एस.पी.ओ.) की व्यवस्था अपनायी जाय। 2-स्पेशल काउन्सिल की सेवायें विशेष मामलों में ही ली जाय। 3-गम्भीर अथवा असामान्य अपराधिक मामले उच्चतर अधिकार धारी के संज्ञान में लाए जाय।

<p>शा0सं0 ए-2-3148 / दस-356ए-सी-1972PWD-9 दि. 14.9.1972, शा0सं0 ए-2- 970 / दस - 96-24(7)/95 दि.28 जून 1996, शा0सं0 ए-2- -3148 / दस-35-ACPWD-9 शा0सं0 ए-2- 970 / दस - 96-24(7)/95 दि.28 जून 96,</p>	<p style="text-align: center;"><u>प्रयोजनाएँ</u></p> <p>क- संचार तथा गैर आवासीय भवनों से संबंधित मूल निर्माण कार्यों की प्रयोजनाओं का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करना । ख-वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना</p>	<p>वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र-17 के अनुसार -उपरोक्त-</p>		
<p>शा0सं0 1782 / 14-148 दि.21.7.1921, कार्यालय ज्ञाप सं. 2719 / दो-वी-182-54 दि. 5.8.1955 तथा शा. सं. ए-2-1807 / दस / 14-26 / 73 दि. 12.9.1973 शा0सं0 4994 / 78 दि. 11.12.1923</p>	<p style="text-align: center;"><u>वापसी</u></p> <p>राजस्व की वापसी की स्वीकृति देना</p> <p>गारण्टी प्रणाली के अधीन क्रेताओं के दावा योग्य विशेष वापसी की स्वीकृति देना</p>	<p>इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है</p> <p>इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है</p>		
<p>शा0सं0 1710 / 14-138ए-एफ. 45 दि. 24.11.1940 वन नियम संग्रह 7 पैरा 149ए-6 विज्ञप्ति सं. 4125 / 14-138 ए.एफ.45 दिनांक 18 जनवरी 1949</p>	<p style="text-align: center;"><u>छूटें</u></p> <p>किसी संविदा जिसे सम्पादित करने अथवा कतिपय परिस्थितियों में छूट प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है, के अधीन देय विक्रय मूल्य को निरस्त अथवा कम करना</p>	<p>इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है</p>		

अधिकार	अधिकार की प्रकृति	किसके द्वारा व्यवहारित	प्रतिनिधायन की सीमा	विशेष शर्त यदि कोई हो
शा0सं0 1710/14-13-ए.एफ. 45 दि. 24.11.40 वन नियम संग्रह-7 पैरा 149-ए(6) विज्ञप्ति सं. 4125/14-138-ए.एफ.-45 दि. 28.1.1949	<u>भवनों तथा भूमि का किराया</u> अनावासीय प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिए किराये पर लिए गये भवनों का किराया स्वीकृत करना ।	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण पत्र-3 के अनुसार		
वन नियम संग्रह शा0सं0 620/14-243 दि. 16.11.1932 व शा0सं0 66/14-13-1941 दि. 9 जुलाई 1940, वित्तीय नियमावली खण्ड-7 का पैरा 134 तथा शासनादेश सं. 611/14-7 दि. 19.6.1957	निम्नांकित के लिए किराये पर लिए गए स्थानों के किराये की अदायगी की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार- 1-वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों जो हल्के दुर्गो तथा अन्य प्रभारी रूप से तैनात हैं और जिनके लिए कोई चौकियों या अन्य आवास अभी तक निर्मित नहीं किए गए हैं और 2-वन विभाग के अधीन कर्मचारियों जिन्हें अस्थायी रूप से वनों में तैनाती के स्थान से आम तौर से वरसात के समय सरकारी कार्य के हित में प्रभागों या वृत्तों के मुख्यालयों में बुलाया जाता है। 3-उत्तर प्रदेश वन सेवा संवर्ग के प्रवर अधीनस्थ सेवा के सदस्य	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
शा0सं0 2652/14-430-1949 दिनांक 20.3.51	निम्नांकित प्रयोजनों हेतु अस्थायी पट्टे या उनके नवीनीकरण की स्वीकृति देना- क-जल की नालियों, पाइप लाईन, प्याऊ तथा मिलों के पट्टे ख-स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों, कारीगरों, पर्यटकों के लाभ हेतु दुकानों को पट्टे पर देना । कुमाऊँ की पहाड़ियों के स्थानीय बाजार की अस्थायी दुकानों सहित । ग-घरों, धर्मशालाओं, गुफाओं (आवासीय प्रयोजनार्थ) फार्मस एवं कारु शेड्स हेतु पट्टे	वन संरक्षक	बशर्ते कि वार्षिक किराया 500/- से अधिक न हो तथा पट्टे व प्रत्येक नवीनीकरण की अवधि 5 वर्ष से अधिक न हो ।	
शा0सं0 ए-2-1807/दस-14(26)/73 दिनांक 12 सितम्बर 1973	<u>पारितोषिक</u> भारतीय वन अधिनियम की धारा-68 के अधीन प्राप्त प्रतिकर में से पारितोषिक भुगतान को प्राधिकृत करने का अधिकार	अधीनस्थ वनाधिकारी जो कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के तहत मामलों को कमाउण्ड करने हेतु प्राधिकृत है	प्राप्त प्रतिकर का 10 प्रतिशत इस शर्त के अधीन कि इसकी अधिकतम सीमा 500/- रु. से अधिक न हो	इस अधिकार का प्रयोग केवल कम्पाउण्ड बिल आफेन्स में हो और गैर सरकारी आदमी के लिए किया जाय ।

अधिकार	अधिकार की प्रकृति	किसके द्वारा व्यवहारित	प्रतिनिधायन की सीमा	विशेष शर्त यदि कोई हो
शा0सं0 1188/14-3-109-83 दि. 25.8.1984 शुद्धि पर्ची संख्या1 वित्तलेखाअनु-2 पत्रावली सं-18(1)/84 दि.10.1.1985	वन विभाग के किसी अधीनस्थ द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान विशिष्ट प्रकार की की गयी सराहनीय शासकीय सेवा हेतु पारितोषिक दिए जाने की स्वीकृति	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
वन नियम संग्रह, शा0सं0 1188/14 -3 - 109 -83 दि. 25 अगस्त 1984	वन अपराध को रोकने में सराहनीय एवं असाधारण कार्य के लिए (जिसमें जान जोखिम में डाली गयी हो) वन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी को पारितोषिक दिए जाने की स्वीकृति देना	1- वन संरक्षक 2-डी.एफ.ओ.	प्रत्येक मामले में 2500/की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को 500 से अधिक नहीं प्रत्येक मामले में 1000/की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को 250 से अधिक नहीं	आय-व्ययक में प्राविधान के अधीन
वन नियम संग्रह	किसी सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति जिसने आग बुझाई हो अथवा अग्नि शमन में महत्वपूर्ण सहायता दी हो, को पारितोषिक की स्वीकृति देना	वन संरक्षक डी.एफ.ओ	प्रत्येक मामले में 2500 की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को 500 रु. से अधिक नहीं प्रत्येक मामले में 1000 की सीमा तक किन्तु एक व्यक्ति को 250 रु. से अधिक नहीं	
*शा0सं0 ए-2-970/दस-96-24(7)/95 दि. 28 जून 1996 कार्यालय ज्ञाप संख्या 2719/11-बी-182-54 दि. 5.8.1955	फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय करना (अभियंत्रण विभाग को छोड़कर) कीमती स्टोर स्टॉक की बिक्री की स्वीकृति देना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 20 के अनुसार	उपर्युक्त मद *में प्रतिनिहित व्यवस्था के अधीन	
शा0सं0 905/18/652 दिनांक 13 मार्च 1935 तथा वित्तीय नियमावली खण्ड-5 भाग-1 का परिशिष्ट	विदेश के निर्माण कर्ताओं अथवा व्यापारियों डीलरों से ऐसी वस्तुएँ जो प्रयोगात्मक अथवा शोध प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हों अथवा अन्य वस्तुएँ जिनका उल्लेख स्टोर परचेज रूल्स के अनुलग्नक ख में और नियम 7-2 में किया गया है, सीधे प्राप्त करना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 20 के अनुसार		

शा0सं0 ए-2-970/दस-96-24(7)/95 दि. 28 जून 1996	<u>बट्टे खाते में डालना</u> भण्डार या लोक धन की अवसूलनीय हानियाँ जिनके अन्तर्गत पूर्णतः नष्ट हुए स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है, को बट्टे खाते में डालना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 22 के अनुसार		
शा0सं0 ए-2-970/दस-96-24(7)/95 दि. 28 जून 1996	राजस्व की हानि जिनके अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा बिक्री की गयी अवसूलनीय धनराशि भी सम्मिलित है या अवसूलनीय ऋण या अग्रिम धन का बट्टे खाते में डालना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 22 के अनुसार		
कार्यालय ज्ञाप सं. 2719/डी.वी.-182-54 दि. 5अगस्त 1955	कीमती स्टोर्स व सामानों को बट्टे खाते में डालना			उपर्युक्त मद संख्या34 में प्रतिनिहित व्यवस्था के अधीन
शा0सं0 ए-2-970/दस-96-24(7)/95 दि. 20.6.1996	स्टाक में अन्तर्विष्ट स्टोर्स के मूल्य में और अन्य लेखाओं में कमियाँ और ह्रास, मोटर गाड़ियों व मोटर साइकिल के अतिरिक्त के मामलों को बट्टे खाते में डालना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 22 के अनुसार		
शा0सं0 ए-2-970/दस-96-24(7)/95 दि. 28 जून 1996	दुर्घटनाओं, जालसाजी, असावधानी या अन्य कारणों से खोये या नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त भण्डारों एवं अन्य सम्पत्ति के वसूल न हो सकने वाले मूल्य या खोए सरकारी धन की वसूली नहीं हो सकने वाली धनराशियों को बट्टे खाते में डालना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 22 के अनुसार		
शा0सं0- 599-ई.बी.आर./तेईस-पी.डब्लू.बी. 88-ई.वी.आर. 52 दि. 25.3.1954	ऐसे अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान करना जिन्हें स्वीकृत करने का उन्हें अधिकार हो	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
3एफडी.सी.-72	ठेकेदारों से देय वसूल न होने योग्य अग्रिम बट्टे खाते में डालना	इस प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है		
शा0सं0 ए-2-970/दस-96-24(7)/95 दि. 28 जून 1996	<u>विविध</u> निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री से पूर्व परामर्श किए विना निजी मुद्रणालयों से पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्य जैसे नक्शे, नोटिस आदि का मुद्रण करना वृक्षारोपण कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करना राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों, प्राणि उद्यानों, वन पार्को/मनोरंजन पार्को तथा अन्य स्थानों में विभागीय जलपान गृहों/रेस्टोरेंट को किराये पर उठाने हेतु टेण्डर स्वीकृत करना	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 के विवरण 2 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक तथा मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक उप वन संरक्षक मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव	पूर्ण अधिकार 2 लाख तक 1 लाख तक पूर्ण अधिकार	आय व्ययक व्यवस्था के अनुसार
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2003 वन संरक्षण अधिनियम 1978	<u>अधिनियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार</u> वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 1972 का विधेयक वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही	उप वन संरक्षक	-	-

Legal Powers of forest officers under I.F.A. 1927

Sl. No.	Forest Officer	Section of IFA under which empowered
1	2	3
1.	P.C.C.F.	26, 52, 53, 64, 65
2.	A.P.C. C.F.	26, 52, 53, 64, 65
3.	C.C.F.	26, 52, 53, 64, 65
4.	C.F.	25, 26, 52, 52 (1), 52(d), 53, 61, 61A (2), 64, 65, 68, 72 (a), 72 (b) 72 (c), 72 (d)
5.	D.C.F./ D.F.O.	21, 26, 33, 34, 45, 46, 50, 52, 52A, 53, 54, 58, 61, 61A, 64, 65, 68, 72
6.	A.C.F.	26, 33, 34, 52, 53, 64, 65, 68, 72
7.	R.O.	26, 33, 34, 52, 53, 64, 65, 68, 72
8.	Dy. R.O.	26, 33, 34, 52, 64, 72
9.	Forester	26, 33, 34, 52, 64, 72
10.	Forest Guard	26, 33, 34, 52, 64, 72

Descriptions of Sections

- Sec. 21:** Publication of translation of Reserve Forest in neighborhood of forest.
- Sec. 25:** Power to stop ways & watercourses in a Reserve Forest.
- Sec. 26:** Power to permit entry & acts in a reserve forest.
- Sec. 34:** Power to permit entry & acts in a protected forest.
- Sec. 45:** Notification of drift wood depot.
- Sec. 46:** Disposed of claims of drift wood depot.
- Sec. 50:** Power to receive payment against disposal of drift wood.
- Sec. 52:** Power of seizure of property liable to confiscation & detention of vehicles.
- Sec. 52(A):** Power of confiscation.
- Sec. 52A(d):** Appeal against confiscation order.
- Sec. 53:** Power to release property seized under sac. 52
- Sec. 54:** Powers to file complain.
- Sec. 58:** Disposal of perishable property.
- Sec. 61:** Power to release property at any time.
- Sec. 61A:** Power of ejections & appeal.
- Sec. 61A (2):** Appeal against order of evictions.
- Sec. 64:** Power to arrest without warrant.
- Sec. 65:** Power to release on bond a person arrested.
- Sec. 68:** Power to compound offences.
- Sec. 72 (A):** Power to entry survey and demarcations & preparation of maps.
- Sec. 72 (b):** Power to compel the attendance of witnesses.
- Sec. 72 (c):** Power to issue search warrant.
- Sec. 72 (d):** Power to hold on enquiry with forest officers.

Legal Powers of forest officers

U.P. Transit of Timber & other forest produce rules- 1978

Sl. No.	Forest Officer	Section of IFA under which empowered
1	2	3
1.	P.C.C.F.	11, 25, 26 (1), 26 (2)
2.	A.P.C. C.F.	11, 25, 26 (1), 26 (2)
3.	C.C.F.	6, 11, 25, 26 (1), 26 (2)
4.	C.F.	4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26 (1), 26 (2)
5.	D.C.F./ D.F.O.	4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 25, 26 (1), 26 (2)
6.	A.C.F.	4, 8, 11, 25, 26 (1)
7.	R.O.	4, 5, 8, 11, 25, 26 (1)
8.	Dy. R.O.	4, 8, 11, 25
9.	Forester	4, 8, 11, 25
10.	Forest Guard	4, 25

- Sec. 4:** Power to issue transit passes.
Sec. 5: Realisation of transit fee.
Sec. 6: Fixing specifications for books of passes in during cost.
Sec. 7A: Convention of several passes into one pass.
Sec. 8: Tampering of passes.
Sec. 9: Supply of books of blank passes.
Sec. 11: Checking of passes.
Sec. 12: Extinction of expiry of passes.
Sec. 14: Fixations of property marks.
Sec. 15: Establishment of depot & check posts
Sec. 16: Publication of situation of depot.
Sec. 17: Posting of repot in charge.
Sec. 18: Registration of property marks.
Sec. 19A: Special permission regarding right movement of forest produce.
Sec. 20: Issuing of foreign passes.
Sec. 21: Registration of foreign passes.
Sec. 22: Registration of interstate traders of forest produce.
Sec. 23: Registration of forms of foreign passes.
Sec. 25 (A): Stopping & examination of vehicle & passes.
Sec. 26 (1): Permission for named conversion of timber etc.
Sec. 26 (2): Power of permission regarding mechanical conversion of timber etc.

U.P. Establishment & Regulation of Saw Mills- 1978

Sl. No.	Forest Officer	Section of IFA under which empowered
1	2	3
1.	P.C.C.F.	Relocation of existing license by the order officer of Hon'ble Supreme Court.
2.	C.F.	10
3.	D.C.F./ D.F.O.	5, 7, 8

- Sec. 5:** Grant of license.
Sec. 7: Renewal of license.
Sec. 8: Revocation of license.
Sec. 10: Appeal against revocation of license.

Legal Powers of forest officers Wildlife Protection Act. 1972

Sl. No.	Forest Officer	Section of IFA under which empowered
1	2	3
1.	P.C.C.F.	50, 50 (8), 55
2.	A.P.C. C.F.	50, 50 (b), 55
3.	C.C.F.	50, 50 (8), 55
4.	CWLW (PCCF/APCCF/CCF)	11, 12, 17 (b), 17 (c), 17 (d), 17 (e), 17 (f), 27, 28, 29, 31, 33, 33 (c), 34, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 (a), 49 (b), 50, 54, 55
5.	C.F.	50, 50 (b), 55
6.	D.C.F./D.F.O.	50, 50 (b), 54, 55
7.	A.C.F.	50, 50 (b), 55
8.	R.O.	50, 55
9.	Dy. R.O.	50, 55
10.	Forester	50, 55
11.	Forest Guard	50, 55

- Sec. 11:** Hunting of man eaters/disable/diseased dangerous wild animal.
- Sec. 12:** Grant of permit for special purposes.
- Sec. 17 (b,c):** Grant of permit for special purposes.
- Sec. 17(d):** Grant of license for dealing in specified plants.
- Sec. 17(e):** Declaration of stocks.
- Sec. 17(f):** License for possession etc. of plant.
- Sec. 28:** Grant of permit for entry in a sanctuary.
- Sec. 29:** Grant of permit for distraction etc. in a sanctuary.
- Sec. 31:** Prohibition of entry into sanctuary with weapon/grant of permit.
- Sec. 33:** Control of sanctuaries.
- Sec. 33 (a):** Immunization of live stock.
- Sec. 34:** Registration of certain person in possession of arms.
- Sec. 39:** Permit for trade or commerce in wild animals, animal articles & trophies.
- Sec. 40:** Declaration/Acceptance.
- Sec. 41:** Enquiry & preparation of inventories.
- Sec. 42:** Issuing of certificate of ownership.
- Sec. 43:** Regulation of transfer of animal.
- Sec. 45:** Suspension of license.
- Sec. 46:** Appeals/against suspension.
- Sec. 47:** Maintenance of records.
- Sec. 48 (a):** Purchase of animal etc. by licenses.
- Sec. 48 (c):** Restriction of transportation of wild life.
- Sec. 49 (b):** Prohibition of dealing in trophies, animal articles derived from scheduled animal.
- Sec. 50:** Power to entry, search and arrest & detention.
- Sec. 50 (8):** Enquiry of offences.
- Sec. 54:** Compounding of Offences.
- Sec. 55:** Filing of complaints.

Legal Powers of forest officers

Tree Protection Act.

Sl. No.	Forest Officer	Section of IFA under which empowered
1	2	3
1.	P.C.C.F.	13, 14
2.	A.P.C.C.F.	13, 14
3.	C.C.F.	13, 14
4.	C.F.	13, 14, 15
5.	D.F.O.	5, 13, 14
6.	A.C.F.	13, 14
7.	R.O.	13, 14
8.	Dy. R.O.	-
9.	Forester	-
10.	Forest Guard	-

- Sec. 5:** Power to issue felling permit.
Sec. 13: Power of arrest without warrant.
Sec. 14: Power of seizure.
Sec. 15: Power of compounding offences.

U.P. Resin & other Forest Produce (Regulation of Trade) Act. 1976

Sl. No.	Forest Officer	Section of IFA under which empowered
1	2	3
1.	P.C.C.F.	13, 16
2.	A.P.C.C.F.	13, 16
3.	C.C.F.	13, 16
4.	C.F.	13, 16
5.	D.F.O.	10, 13, 16
6.	A.C.F.	13, 16
7.	R.O.	13, 16
8.	Dy. R.O.	13
9.	Forester	13
10.	Forest Guard	13

- Sec. 10:** Registration of Units & Resin tapers.
Sec. 13: Power of entry & search.
Sec. 16: Power to file complain.

3.

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के
निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृतियों के
निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम,
अनुदेश, निर्देशिका से सम्बन्धित शासनादेश अनुवर्ती पृष्ठों पर दर्शाये
गये हैं।

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण नीति—
शासनादेश संख्या— 1050/ XXX (2)/ 2005 दिनांक 29.4.2005 द्वारा जारी
2. उत्तरांचल सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्म कालीन तथा शीतकालीन वर्दी अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में— शासनादेश संख्या 3525/ 7/ 2004/ 17— उद्योग/ 04 दिनांक 10 जनवरी 2005
3. वन विभाग के विभिन्न पदों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण भरने के सम्बन्ध में — प्रमुख वन संरक्षक उत्तरांचल, नैनीताल की पत्र संख्या —
4028 शिविर/ ई-10-58 दिनांक 14 जून 2003
4. वन विभाग के विभिन्न रिक्त पदों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण भरने के सम्बन्ध में — शासनादेश संख्या — 335/1 (2) व ग्रा0वि0/ 2003-14 (13)/ 2003 दिनांक 7.6.2003
5. स्वैक्षिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति— शासनादेश संख्या — 170/2-2-2000-19/2 (18)/94 दिनांक 25.8.2000
6. सामयिक कर्मचारों / दैनिक वेतन श्रमिकों के विनियमितकरण हेतु अवर अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 1980 के प्राविधानों में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में —
उत्तरांचल शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 संख्या 137/ 1 (1) व ग्रा0वि0/ 2003-10 (1) 2002 दिनांक 19.2.2003
7. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भरती नियमावली 1974 के नियम 2 (क) में दी गई परिभाषा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।
शासनादेश संख्या — 6/ 12/ 1973 कार्मिक- 2 दिनांक 17.10.1984
8. दैनिक वेतन पर भरती / नियुक्ति पर प्रतिबन्ध—
शासनादेश संख्या — 2 / 5/ 1991 का-2/ 92 दिनांक 2 सितम्बर 1992
9. राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किया जाना :-
उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग दो संख्या 806/ का-2-2002 दिनांक 15.6.2002
10. वेतन समिति (97-99) के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के दरों का पुनरीक्षण—
उत्तरांचल शासन वित्त अनुभाग 3 / 2004 संख्या 1332/ XXVII(3) मा/ 2004 दिनांक 2.8.2004

11. डेथ कम रिटायर मेंट ग्रेच्युटी की देर से अदायगी किये जाने पर व्याज के भुगतान से सम्बन्धित व्यय को संगत लेखा शीर्षक के नाम से डाला जाना—
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग तीन संख्या बी-3 3259/ 10-88-100 (8)-87 दिनांक 23.5.1988
12. अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु/से0नि0 ग्रेजुएटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरलीकरण—
शासनादेश संख्या - सा0-3 1713/ 10-87-933/89 दिनांक 28.7.1980
13. सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सेवा को पुनः स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में—
वित्त अनुभाग के पत्रांक संख्या-1115/ वि0अनु0 3/ 2003 दिनांक 31.12.2003
14. राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखों के रख रखाव के लिए पास बुक प्रणाली को लागू किया जाना।
शासनादेश संख्या - शा0-4-2626/ 10-521-60 दिनांक 17.12.1975
15. अधिवर्षता आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के अन्तिम चार महीनों के वेतन से भविष्य निधि अभिदान कटौती अथवा अस्थाई अग्रिम की वसूली पर रोक—
कार्यालय ज्ञाप संख्या जी0-4 ए0 जी0 - 14/ 10-513-50 दिनांक 2.3.1979
16. समयमान वेतनमान शासन आदेशों में संशोधन -
वित्त अनुभाग तीन संख्या 345/ वि0अनु0-3/ 2001 दिनांक 24.10.2001
17. वन विभाग के जमादार/मोहरीर के नियमित पदों एवं पद धारकों का वन दरोगा के पदों/ संवर्ग में सविलिनिकरण -
वन एवं पर्यावरण अनुभाग - संख्या 6870 (1) 1 व0ग्रा0वि0/ 2001-4 (1) 2001 दिनांक 24.11.2001
18. सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान तथा प्रभावी लेखा प्रणाली हेतु कोषागारों में "एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली " लागू किया जाना—
वित्त अनुभाग एक -संख्या 235/ 21/ वि0अनु0- 1 / 2001 दिनांक 6.12.2001
19. सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में सतर्कता अधिष्ठान अथवा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई जाँचों के आधार पर विभागीय कार्यवाहियां प्रारम्भ करना—
शासनादेश संख्या - 12/ 14/65 नियुक्ति (ख) विभाग दिनांक 17.1.1966
20. सतर्कता जाँच से सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान को तत्काल उपलब्ध कराना—
सतर्कता अनुभाग चार संख्या 1928/39-4-93-42 (345)/ 86 दिनांक 5.11.1993

21. सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति में समय की पाबंदी –
अ०शा० पत्र संख्या 55-जी०/1958 सा०प्र०अनु० 2 दिनांक 7.7.1975
22. सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा तथा सद्व्यवहार ।
शासनादेश संख्या – 2418-43-34 (13)-76 प्र०सु०वि० दिनांक 13.8.1976
23. सरकारी कर्मचारियों द्वारा चल तथा अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय किया जाना-
शासनादेश संख्या – 9-1-1973 कार्मिक-1 दिनांक 24.10.1978
24. सरकारी सेवकों द्वारा की गई शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करना-
कार्मिक अनुभाग 1 संख्या 13/78/83 का० 1-88 लखनऊ दिनांक 22.3.1988
25. विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण/प्रोन्नति के मामलों में राजनैतिक दबाव का प्रयोग किया जाना-
शासनादेश संख्या – 169(एम०) ई०जी०/ 23 सा०नि०-5-69ई०जी०/88 दिनांक 14.7.1988
26. सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बन्द किया जाना ।
शासनादेश संख्या – 1309/21-1990-11-7-90 दिनांक 26.3.1990
27. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन-
शासनादेश संख्या – कार्मिक अनुभाग-2 शासन आदेश संख्या -22/5/ 1982 – कार्मिक-2 दिनांक 27.7.1991
28. राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में क्रय किये गये कम्प्यूटरों को संचालित करने के लिए सरकारी सेवकों को "प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना" –
शासनादेश संख्या – वित्त (सामान्य) अनुभाग एक संख्या जी०- 1 1406/ 10-238-89 दिनांक 24.12.1991
29. सामान्य भविष्य निधि खातों का समुचित रख-रखाव –
शासनादेश संख्या – चार ए० जी० -6/10-1094-510-84 दिनांक 20.8.1994
30. सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर-
कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या – 1454/कार्मिक-2-2001 दिनांक 31.8.2001
31. ए०डी०ओ० वन के सेवा सम्बन्धी मामले –
वन एवं पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या 4942/व०ग्रा०वि०/ 2001-14 (14)/ 2001 दिनांक 7.11.2001

32. वन सेवाओं के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने की व्यवस्था—
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -4031/ 1(1) व०ग्रा०वि०/
2001-4/ 2001 दिनांक 17.5.2002
33. वनों में आग से रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने हेतु प्रदेश के जनपदों/
ब्लाक में जिला स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय समिति का गठन किया जाना —
वन एवं पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या - 1766/ एफ०आर०डी०सी०/ 2002
दिनांक 11.1.2002
34. उत्तरांचल के असंरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध पर्यटक सुविधाओं एवं सेवाओं हेतु दरों आदि का
पुनरीक्षण—
वन एवं पर्यावरण अनुभाग दो के शासनादेश संख्या -1128/1 (2) व०ग्रा०वि०/ 2002
-12 (72)/ 2001 दिनांक 21.6.2002
35. उत्तरांचल के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पर्यटक सुविधाओं एवं सेवाओं हेतु दरों आदि का
पुनरीक्षण ।
वन एवं पर्यावरण अनुभाग दो के शासनादेश संख्या- 1128 (2)/ 1(2) व०ग्रा०वि०/
2002-12 (72)/ 2001 दिनांक 29.6.2002
36. स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में :-
सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या-2620/1-4-2001 दिनांक 24.11.01
37. मा० मंत्री गणों एवं शासन को प्रेषित किये जाने वाले पत्रों में सामान्य शिष्टाचार एवं
प्रोटोकाल के नियमों का पालन —
कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4073/1-1 2001दिनांक 15.12. 2001
सीधी भर्ती में आरक्षण नीति लागू करने के सम्बन्ध में —
कार्मिक विभाग दो के शासनादेश संख्या - 1876/ कार्मिक-2/ 2002 दिनांक 17.1.2002
राजस्व एवं वित्त
38. वन विभाग में दस वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन के श्रमिकों का
नियमितीकरण—
मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत विनियमितीकरण के सम्बन्ध में दि० 4.9.2001
39. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के विषयक—
शासनादेश संख्या- 566/ मु०स०/ 2002 दिनांक 25.1.2002

40. वनाधिकारियों/कर्मचारियों को हथियार धारण करने एवं निजी सुरक्षा का अधिकार के तहत आग्नेयास्त्र की अनुमति प्रदान करना—
शासनादेश संख्या— 5521/ 1 वंग्रांवि०/ 2001-14 (36)/ 2001 टी०सी० दिनांक 22.11.2001

सामान्य

1. सरकारी उपकरणों कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक आदि के क्रय से हिलट्रान को सृष्टि किए जाने विषयक—
शासनादेश संख्या— 63/ 1/07/ सू०प्रौ०/2001 दिनांक 28.9.2001
2. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्यों के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में अनुग्रह राशि स्वीकृत किया जाना—
शासनादेश संख्या— 5164/ 1वंग्रांवि०/ 2001-14(80)/ 2001 दिनांक 1.10.2001
शासनादेश संख्या— 149/ वंग्रांवि०/टी०ए०सी०/ 2001 दिनांक 1.11.2001
3. मितव्ययता के उद्देश्यों से अधिष्ठान में कमी के कारण मृतक कर्मचारी के आश्रितों की छटनी के सिद्धान्त —
शासनादेश संख्या— 6/12/1973-कार्मिक-2 दिनांक 23.1.1961
4. दुर्घटनाओं से ग्रसित सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोगदान में पंजीकरण से नियुक्त करना —
शासनादेश संख्या—4/2/1981-कार्मिक-2 दिनांक 6.4.1921
5. मृतकर्मचारियों के आश्रितों को उ०प्र० अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता पर संशोधन नियम—
शासनादेश संख्या— बी०-3/ 2556/10-81-15 (1)-78-अ०कों० दिनांक 11.5.1981
6. मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित करने सम्बन्धी —
शासनादेश संख्या— 3/7/1990-कार्मिक-2 दिनांक 26.11.1990
7. उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1991
शासनादेश संख्या— 6/12/1973- कार्मिक -2 दिनांक 12.2.1991
8. उ०प्र० एवं उत्तरांचल हेतु भारतीय वन सेवा संवर्ग का निर्धारण—
शासनादेश संख्या—16016/25/000-भा०व०से०-2 दिनांक 4.1.2001

9. सहायक विकास अधिकारियों (वन) के पद पर तैनात कर्मियों की सेवाओं का प्रभावी उपयोग किये जाने विषयक—
शासनादेश संख्या— 411/ 1 व०ग्रा०वि०/ 2001-14(1)/ 2001 फरवरी 2001
10. उ०प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000 के शासनादेश व अन्य आदेशों के अनुसार उत्तरांचल राज्य हेतु विकल्पधारी राज्य वन सेवा अधिकारियों का उत्तरांचल को अस्थाई आवंटन—
शासनादेश संख्या— 3148/ व०ग्रा०वि०/ 2001 दिनांक 6.6.2001
11. वन विभाग में वन रक्षक एवं वन दरोगा स्तर पर सीधी भर्ती के द्वारा तैनाती की स्थित में पूर्व प्रशिक्षण—
शासनादेश संख्या— 3148/ 1 व०ग्रा०वि०/ 2001 दिनांक 6.6.2001
12. कोर्ट केशों की पैरवी वावत्—
शासनादेश संख्या—124/ वन/ 2001 दिनांक 26.5.2001
42. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर अधिसूचना प्रकीर्ण (तृतीय संशोधन)—
शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग-2 संख्या 6/12/1973-कार्मिक-2/93 दिनांक 12-2-1993
43. उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन)नियमावली 1993—
शासनादेश संख्या कार्मिक अनुभाग-2 संख्या 6/12/1973-कार्मिक-2/94 दिनांक 21.4.1994
44. अवकाश यात्रा सुविधा को 2 वर्ष के लिये निलम्बित रखा जाना—
शासनादेश संख्या 6763/एफ-4-2001 वित्त अनुभाग-3 दिनांक 27-8-2001
45. समस्त विभागाध्यक्षों के वार्षिक मूल्यांकन के लिये महत्वपूर्ण बिन्दु—
शासनादेश संख्या 12-2-9/ व०ग्रा०वि०/2001 दिनांक 4-8-2001
46. राज्य की सीमाओं से बाहर लखनऊ, दिल्ली की यात्राओं की अनुमति विषयक—
शासनादेश संख्या 194/व०ग्रा०वि०/2001/95 दिनांक 20-6-2001
47. मा० मंत्रीगणों को अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र उचित माध्यम से भेजने वावत्—
शासनादेश संख्या 950/स० कार्मिक/पी०ए०/2001 कार्मिक अनुभाग 20-2-2001
48. प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्यों हेतु बजट केन्द्रीय रूप से सूचना विभाग के माध्यम से व्यय किये जाने वावत्—
शासनादेश संख्या 1450/1 व०ग्रा०वि०/2001 दिनांक 8-3-2001

49. वन सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) के अधिकारियों की चरित्र पंजिका में गोपनीय प्रविष्टि का अंकित किया जाना—
शासनादेश संख्या 2142/14-1-92/1/1986 दिनांक 26-6-1992
50. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत ग्राम वनों के संयुक्त प्रबंधन एवं विकास हेतु "उत्तरांचल ग्राम वन संयुक्त प्रबन्ध नियमावली 2001" के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना—
वन एवं पर्यावरण अनुभाग दों के शासनादेश संख्या— 471 (4)/1(2) व0ग्रा0वि0 / 2002-8 (15)/ 2001 दिनांक 29.6.2002
51. उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत वन पंचायत संगठन के सुदृढीकरण व विकास हेतु उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली 2001 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना —
उत्तरांचल शासन वन एवं ग्राम्य विकास देहरादून की शासनादेश संख्या— 471(2) / एक व0ग्रा0वि0 / 2002 -8(15)/ 2001 दिनांक 31.5.2002
52. ग्राम वन समितियों/वन पंचायतों द्वारा वन अपराधों की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करना—
शासनादेश संख्या— 232/ ग्रा0व0स0 / व0पंचायत दिनांक 8.12.2001
53. वन प्रभागों/रक्षित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामलों का अभिलेखीकरण एवं केश स्टडी तैयार किया जाना तथा वनों में जघन्य अपराध होने पर स्पेशल रिपोर्ट की व्यवस्था—
वन एवं पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या— 963 (1)/ 1 व0ग्रा0वि0 / 2001-9 (13) 2001 दिनांक 10.12.2001
54. वन संक्षरण अधिनियम 1980 के लागू होने से पूर्व निजी व्यक्तियों/संस्थाओं को आरक्षित वन भूमि पर विभिन्न परियोजना हेतु स्वीकृत लीजों के सम्बन्ध में सूचना ।
वन एवं ग्राम विकास शाखा के शासनादेश संख्या—125/18-6 दिनांक 18.7.2002
55. उत्तरांचल में भेड़ पालन के माध्यम से स्वरोजगार— उत्तरांचल के भेड़ पालकों का वन विभाग तथा पशु पालन विभाग के संयुक्त दलों द्वारा शीतकालीन प्रवास स्थलों में सर्वेक्षण तथा चिकित्सा सुविधा अभियान (एक दिसम्बर 2000-25 दिसम्बर 2001)
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के शासनादेश संख्या— 1640/ व0ग्रा0वि0 / 2001 दिनांक 1.12.2001
56. फौरेस्ट डेवलपमेंट एजेन्सी (एफ.डी. ए.) के सम्बन्ध में —
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन देहरादून के अ.शा.पत्र सं0642/1/1/2002 दि0 23.9.2002 का गठन किया गया है

57. उत्तरांचल पंचायत वन नियमावली 2001 के प्रस्तर 2 (त्र) में दी गई व्यवस्थानुसार नियमावली में निर्दिष्ट कर्तव्यों के निर्वाहन हेतु प्रत्येक जनपद में वनाधिकारियों को नामित किया जाना—
वन एवं पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या— 6339/1 व0ग्रा0वि0/ 2001-8(15)/ 2001 टी0सी0 दिनांक 6.11.2001
58. आई0डी0एफ0सी0 द्वारा उत्तरांचल में विभागों से सम्बन्धित सूचनाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में—
वन एवं ग्राम्य विकास उत्तरांचल के शासनादेश संख्या— 1361 प्र0स0/ आ0व0ग्रा0वि0 दिनांक 12.9.2001
59. वानिकी केन्द्रित ग्राम्य विकास विभागीय पौधशालाओं के श्रमांश को निकटस्थ गावों के महिला स्वयं सहायता समूहों (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से) से सम्बद्ध करके कार्ययोजना का क्रियान्वयन।
उत्तरांचल शासन वन एवं ग्राम्य आयुक्त शाखा वन एवं पर्यावरण अनुभाग के शासनादेश संख्या— 1808/ व0ग्र0वि0/ 2002 दिनांक 2.2.2002
60. पर्वोत्सव सीजन के दौरान पर्यावरणीय/ ध्वनि मानकों सम्बन्धि विनियमों / निर्देशों के क्रियान्वयन / अनुपालन के सम्बन्ध में—
शासनादेश संख्या— 6688/1-व0ग्रा0वि0/ 2001 -13(13)/ 2001 दिनांक अक्टूबर 2001
61. वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा से सम्बन्धित विभागों के न्यायालयों में महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में कार्यवाही किया जाना—
शासनादेश संख्या— 86/ व0ग्रा0वि0/ 2002 दिनांक 7.4.2002
वन भूमि हस्तान्तरण/ लीज/ वन अपराध
62. वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में —
शासनादेश संख्या— 11-30/ 96 एफ0सी0 (पी0टी0) दिनांक 14.9.2001
63. सड़कों की विशेष मरम्मत हेतु समिति का गठन किया जाना—
शासनादेश संख्या—4670/लो0नि0-2/2001-414(पी0डब्लू0डी0)/2001 दिनांक 27.10. 2001
64. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित किए जाने वाले मार्गों हेतु वन भूमि का प्रोग्राम पी0आई0यू0 त्वरित गति से निर्माण कार्य की व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में —
65. वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या पर विचार एवं नीति निर्धारण—
शासनादेश संख्या— 72622 14-2-742/72 दिनांक 1.11.1975

66. वन भूमि में अनाधिकृत रूप से लगे विज्ञापन पटल (होर्डिंग्स) आदि हटायें जाने के सम्बन्ध में—
शासनादेश संख्या— 5559 / 1 व 0 ग्रा 0 वि 0 / 2001 दिनांक 1.9.2001
अवैध पातन / खनन
67. उत्तरांचल राज्य खनिज नीति 2001—
शासनादेश संख्या—1031 / ओ 0 वि 0 / 2001 दिनांक 30.4.2001
68. उप खनिजों (बालू, मोरम, बजरी) के हेतु पट्टे / परमिट का दिया जाना—
शासनादेश संख्या 1178 / औ 0 वि 0 / 2001—22—ख / 2001 औद्योगिक विकास शाखा दिनांक 30—4—2001
69. उत्तरांचल राज्य में उत्पादित लीसा आवंटन एवं वितरण हेतु नीति निर्धारण—
शासनादेश संख्या 282 / व 0 ग्रा 0 वि 0 / 2001 वन एवं पर्यावरण अनुभाग दिनांक 5—2—2001
70. वन विभाग में वित्त नियन्त्रक सम्बन्धी कार्य —
शासनादेश संख्या 764 / 1—व 0 ग्रा 0 वि 0 / 2001 वन एवं पर्यावरण अनुभाग दिनांक 3—2—2001
71. वन पंचायतों का बांस रोपण में सेंचुरी पेपर, प्रो 0 सेंचुरी टैक्स टाइल लि 0 के साथ उच्च कोटि के बांस पौधारोपण / पौधालयों का अनुबन्ध—
शासनादेश संख्या 317 / व 0 ग्रा 0 वि 0 / 2001 दिनांक 20—2—2001

अधिनियम एवं नियमावली

(उत्तरांचल / उत्तराखण्ड संशोधन सहित)

- भारतीय वन अधिनियम— 1927
- वन संरक्षण अधिनियम— 1980
- वन संरक्षण नियमावली— 1981
- पशुधन अनधिकार प्रवेश अधिनियम— 1871
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम—1972 (संशोधनों सहित)
- वन्य जीव संरक्षण नियमावली— 1995
- वन्य जीव (लाइसेंस धाराओं के लिए शर्तें) नियमावली— 1995
- वन्य जीव (केन्द्रीय नियमावली)—1995
- वन्य जीव (कार्यवाही सम्पादन और चर्म प्रशाधन) नियमावली— 1973
- वन्य जीव (सम्पत्ति धोषण) केन्द्रीय नियमावली—1973
- वन्य जीव (संरक्षण) अनुज्ञा (विचार हेतु अतिरिक्त मामलें)— 1983
- हाथी संरक्षण अधिनियम— 1879
- उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम —1948
- उत्तर प्रदेश निजी वन नियमावली— 1950
- उत्तर प्रदेश फल वृक्ष संरक्षण और संवर्द्धन नियमावली—1985
- अधीनस्थ वन (रेंजर्स, उप राजिक और वन दरोगा) सेवा नियमावली— 1951
- उत्तर प्रदेश वन उत्पाद नियन्त्रण आदेश— 1971
- उत्तर प्रदेश वन संरक्षण नियमावली— 1960
- नदी किनारे/बहती लकड़ी व प्रकाष्ठ के एकत्रीकरण एवं निस्तारण हेतु नियमावली
- भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियमावली — 1964
- उत्तर प्रदेश वन निगम नियमावली— 1974
- उत्तर प्रदेश वन विभाग (शक्तियों का स्थाईकरण) नियमावली— 1977
- उत्तर प्रदेश वन विभाग मानचित्रकार सेवा नियमावली— 1980
- उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली— 1952
- उत्तर प्रदेश फल पौधालय (विनियमन) अधिनियम— 1976
- उत्तर प्रदेश पौधालय (विनियमन) नियमावली— 1976

- उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम – 1976
- उत्तर प्रदेश लीसा और अन्य वन उपज (विनियमन) अधिनियम-1976
- उत्तर प्रदेश सयुंक्त वन प्रबन्ध नियमावली –1997
- उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क अधिनियम- 1935
- उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क नियमावली- 1935
- उत्तर प्रदेश वन निगम सरचार्ज नियमावली- 1992
- उत्तर प्रदेश लीसा व अन्य वन उपज (विनियमन) नियमवाली- 1976
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन सेवा नियमावली- 1980
- उत्तर प्रदेश इमारती व अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली- 1978
- उत्तर प्रदेश शारदा नदी इमारती लकड़ी – 1915-1919 से सम्बन्धित अभिवहन नियमावली
- उत्तर प्रदेश, कुमाऊँ पिथौरागढ़ वन प्रभाग में इमारती लकड़ी अभिवहन से सम्बन्धित नियमावली- 1920

4.

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उसके प्रतिनिधत्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना :-

विभाग से सम्बन्धित नीतियों का निर्धारण शासन स्तर से व उच्च अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है। नीतियों का क्रियान्वयन शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा निर्धारित/दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

5.

दस्तावेजों जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों के अनुसार :-

इस वन प्रभाग के अन्तर्गत जो अभिलेख उपलब्ध है उसकी सूची निम्न प्रकार है:-

अभिलेखों की सूची

- | | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | ए-5 | आकस्मिक अवकाश की पंजी |
| 2. | ए-7 | अधीनस्थ कर्मचारियों की डायरी |
| 3. | ए-12 | जमानत एवं बौण्ड की पंजी |
| 4. | बी-1 | प्लान ऑफ आपरेशन |
| 5. | बी-6 | प्रारम्भिक अग्नि दुर्घटना रिपोर्ट |
| 6. | बी-6 (ए) | अग्नि दुर्घटना की अन्तिम रिपोर्ट |
| 7. | बी-8 | प्रकाष्ठ सम्पत्ति के घन चिन्ह के पंजीकरण की पंजी |
| 8. | सी-1 | प्रकाष्ठ भण्डार पंजी |
| 9. | सी-2 | बिलों की किताबें |
| 10. | सी-4 (1) | प्रकाष्ठ अथवा जलौनी के उत्पादन की पंजी |
| 11. | सी-4 (ए) | प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज का मासिक रिटर्न |
| 12. | सी-6 (ए) | रवन्ना पुस्तकें (वन ठेकेदारों से संबंधी) |
| 13. | सी-6 (बी) | रवन्ना पुस्तकें (निःशुल्क अथवा रियायती दरो पर दिया गया प्रकाष्ठ) |
| 14. | सी -6(सी) | निजी वनोत्पाद के अभिवहन पास |
| 15. | सी-7 | रवन्ना प्रपत्रों का साप्ताहिक संकलन |
| 16. | सी-10 | परमिट पुस्तकें |
| 17. | सी-12 | क्रेताओं एवं राजस्व किश्तों की प्राप्ति की सूची |

18. सी-14 लघु राजस्व मांगों की पंजी
19. सी-15 राजस्व बकाया व उसकी वसूली की पंजी
20. सी-16 निःशुल्क वन सम्पदा वितरण सम्बन्धी पंजी
21. सी-16 (ए) निर्धारित रियायती दरों पर वन संपदा वितरण सम्बन्धी पंजी
22. सी-17 वन सम्पदा की जब्ती एवं उसके निस्तारण की पंजी
23. डी-1 जीवित भण्डार पंजी
24. डी-2 भण्डार पंजी
25. डी-3 व डी-3(ए) भंडार के लेन देन/प्राप्ति संबंधी पुस्तके
26. डी-4 भण्डार पंजी (कार्यों में प्रयुक्त होने वाला भंडारण)
27. डी-5 भंडार एवं उपकरणों का वार्षिक रिटर्न
28. ई-2 दैनिक रोकड़ बही
29. ई-3 रसीद पुस्तिका
30. ई-4 सारांश पंजिका
31. ई-6 चैक पंजिका
32. ई-7 मासिक रोकड़ बही
33. ई-10 स्वीकृतियों का रजिस्टर
34. ई-11 क्लासीफाइड पंजिका
35. ई-12 ठेकेदारों एवं वितरकों की व्यक्तिगत खाताबही
36. ई-13 ठेकेदारों एवं वितरकों की खाताबही का सारांश
37. ई-14 चालान पंजिका
38. ई-15 (ए) वेतन प्रमाणक
39. ई-19 मस्टर रोल
40. ई-22 आपत्तियों का विवरण
41. ई-23 स्वीकृत कार्यों का व्यय विवरण
42. ई-26 करैन्सी नोट की पंजी
43. एफ-6 पत्रावलियों का रजिस्टर
44. एफ-7 पत्रों के पंजीकरण संबंधी पंजी
45. एफ-8 डाक चालान
46. एफ-52 पुस्तकों एवं मानचित्रों की पंजी
47. जी-4 कार्य भार हस्तान्तरण का प्रमाण-पत्र
48. एच-1 वन अपराधों की सूची एवं निस्तारण संबंधी पंजी
49. एच-2 वन अपराधों की प्राथमिक सूचना
50. बाउन्ड्री रजिस्टर

51. वन मार्गों एवं अग्नि रेखाओं की पंजी
52. कक्ष इतिहास व नियन्त्रण प्रपत्र
53. वन प्रभाग की 10 वर्षीय कार्ययोजना
54. स्टाम्प रजिस्टर डाक टिकटों की पंजी
55. उपस्थिति पंजिका
56. अधिष्ठान गार्ड बुक
57. वाहनों की लौग बुक
58. स्टेशनरी रजिस्टर
59. अवकाश गार्ड बुक
60. चैक बुक पंजिका
61. वेतन बिल पंजिका
62. कर्मचारियों की सा०भ०नि० पास बुकें
63. पेंशन कन्ट्रोल रजिस्टर
64. पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्यूटी पंजिका
65. भवन पंजिका
66. वीडिंग रजिस्टर अप्रयोज्य पत्रावलियों के नष्ट किये जाने संबंधी रजिस्टर,
67. वर्दियों की पंजी
68. लीज रजिस्टर
69. पौधालय/वृक्षारोपण पंजी
70. वार्षिक कार्यालय निरीक्षण पंजिका
71. चरित्र पंजिकायें
72. सेवा पुस्तिका
73. एक्शन प्लान
74. लीसा पंजिका (लीसा नीलाम पंजी / लीसा आमद पंजी)

6.

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण एवं

संकलन

बोर्डों , परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जो वन प्रभाग के संदर्भ में प्रासंगिक है, का विवरण :-

1- वन अग्नि सुरक्षा समिति का गठन:-

शासकीय आदेश संख्या 74 /वन/ 2001 दिनांक 24 अप्रैल, 2001

उत्तरांचल के समस्त जनपद अग्नि दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में संवेदनशील है। अतः वनों में आग की रोक थाम के लिये रणनीति तैयार किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति का स्वरूप निम्नवत है:-

जिला स्तरीय समिति

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4-	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता स्तर से कम न हो	सदस्य
5-	समस्त परगना अधिकारी	सदस्य
6-	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रूचि रखते हों	सदस्य
7-	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य संयोजक

(2) विकास खण्ड स्तरीय समिति

1-	ब्लॉक प्रमुख	अध्यक्ष
2-	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
3-	मुख्यालय पर संबन्धित थाने का थानाध्यक्ष	सदस्य
4-	परगनाधिकारी द्वारा नामित राजस्व अधिकारी जो नायब तहसीलदार स्तर से कम न हो	सदस्य
5-	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
6-	ब्लॉक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण में रूचि रखते हैं	सदस्य
7-	सहायक वन संरक्षक	सदस्य/संयोजक

3 - पंचायती वन जिला परामर्शदात्री समिति का गठन:-

शासनादेश संख्या-415/1-व.ग्रा.वि./2001-14(15)/ 2000देहरादून दिनांक 23 फरवरी 2001

पंचायती वन जिला परामर्शदात्री समिति का गठन निम्नवत है ।

समिति का स्वरूप निम्नवत रहेगा -

1-	अध्यक्ष जिला पंचायत	अध्यक्ष
2-	शासन द्वारा नामित जनपद मुख्यालय में तैनात एक प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक
3-	जनपद में तैनात अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4-	जिलाधिकारी का प्रतिनिधि	सदस्य
5-	वन संरक्षक द्वारा नामित एवं स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि	सदस्य
6-	प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक वरिष्ठतम वन पंचायत सदस्य जिनका नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा	सदस्य

- 4- जनपद स्तर पर वन विभाग,राजस्व विभाग,एवं पुलिस विभाग की वनों की अग्नि सुरक्षा हेतु एक समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की गयी ।
संख्या-853 / I-व.ग्रा.वि./2001 देहरादून, दिनांक 3 मार्च 2001
समिति का स्वरूप निम्नवत रहेगा
- | | | |
|----|--|--------------|
| 1- | सम्बन्धित जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3- | प्रमुख वन संरक्षक द्वारा नामित प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य/संयोजक |
| 4- | जनपद में पडने वाले अन्य क्षेत्रीय प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
- 5- जनपद स्तरीय समिति के अधीन एक या अधिक संयुक्त टास्क फोर्स गठित की गयी है
संख्या-853 / I-व.ग्रा.वि./2001 देहरादून, दिनांक 3 मार्च 2001
समिति का स्वरूप निम्नवत रहेगा -
- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------|
| 1- | सम्बन्धित परगनाधिकारी | सदस्य |
| 2- | सम्बन्धित प्रभागीय क्षेत्राधिकारी | सदस्य |
| 3- | सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक | सदस्य/ संयोजक |
- 6- संयुक्त वन प्रबन्ध समिति का गठन -
संख्या-7807 / I-व.ग्रा.वि.2001-10(5)2001 देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2001
समिति का स्वरूप निम्नवत रहेगा -
- | | | |
|----|--|------------|
| 1- | वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित ग्राम,पुरवा अथवा पुरवों के समूह के निर्वाचित एक व्यक्ति | अध्यक्ष |
| 2- | वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा अपने मे से निर्वाचित दो महिलायें | सदस्य |
| 3- | वन उपयोगकर्ता समूह के सदस्यों द्वारा अपने मे से निर्वाचित अनुसूचित जाति/जनजाति का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4- | वन उपयोगकर्ता समूह द्वारा अपने मे से चुने गये ऐसे दो प्रतिनिधि जो वानिकी कार्यों में गहरी रूचि रखते है | सदस्य |
| 5- | वन रेंज अधिकारी,द्वारा नामित एक वन दरोगा/वन रक्षक जिसके कार्यक्षेत्र मे उक्त वन ग्राम स्थित हो | सदस्य सचिव |

7- प्रभाग स्तरीय समिति का गठन-

संख्या-7807 / I-व.ग्रा.वि.2001-10(5)2001 देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2001
समिति का स्वरूप निम्नवत रहेगा -

- 1- अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष
- 2- प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- प्रभाग के अर्न्तगत निवास करने वाले व्यक्तियों में से सहायक वन संरक्षक द्वारा नामित एक व्यक्ति ।इस हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष संबन्धित(प्रभागीय वनाधिकारी) नोडल अधिकारी की संस्तुति करेगा सदस्य
- 4- प्रभाग के अर्न्तगत निवास करने वाले व्यक्तियों में से सहायक वन संरक्षक द्वारा नामित एक महिला ।इस हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष संबन्धित(प्रभागीय वनाधिकारी) नोडल अधिकारी की संस्तुति करेगा सदस्य
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों में से नामित एक व्यक्ति सदस्य
- 6- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रभाग के सहायक वन संरक्षकों उप प्रभागीय वनाधिकारियों में से एक अधिकारी सदस्य सचिव

8- रेंज स्तरीय समिति का गठन-

संख्या-7807 / I-व.ग्रा.वि.2001-10(5)2001 देहरादून: दिनांक 26 दिसम्बर, 2001

समिति का स्वरूप निम्नवत रहेगा -

- 1- सम्बन्धित क्षेत्र के पंचायत के प्रमुख पदेन अध्यक्ष
- 2- रेंज से सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी पदेन सदस्य सचिव
- 3- स्वयं सेवी संस्था के अभिप्ररकों/ स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य सदस्य
- 4- सम्बन्धित रेंज की ग्राम पंचायतों के प्रधानों में से अनुसुचित जाति जनजाति के एक सदस्य जिसे सहायक वन संरक्षक द्वारा नामित किया जायेगा। इस हेतु क्षेत्र प्रमुख संबधित (प्रभागीय वनाधिकारी)नोडल अधिकारी को संस्तुति करेगा । सदस्य
- 5- सम्बन्धित रेंज की ग्राम पंचायतों के महिला प्रधानों में से अनुसुचित जाति जनजाति के एक सदस्य जिसे सहायक वन संरक्षक द्वारा नामित किया जायेगा। इस हेतु क्षेत्र प्रमुख संबधित (प्रभागीय वनाधिकारी)नोडल अधिकारी को संस्तुति करेगा । सदस्य

9- केनिक स्लिप जोन्स को चिन्हित कर उनके स्थायी उपचार हेतु समिति का गठन।

संख्या-4670 / लो0नि0-2 / 2001-414(पी.डब्ल्यू.डी.) / 2001 देहरादून:दिनांक 27 अक्टूबर 2001
समिति का स्वरूप निम्नवत है।

1-	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	सम्बन्धित जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारी	सदस्य
4-	सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता,सिचाई	सदस्य
5-	भू-वैज्ञानिक, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6-	सम्बन्धित जनपद के प्रान्ती खण्ड(नोडल) के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य सचिव
7-	सम्बन्धित जनपद के समस्त अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0	सदस्य

10- हाथियों के मारे जाने की घटनाओं के कारणों की जाँच तथा भविष्य में रोकथाम के लिये
सुझाव हेतु अधिकारियों / व्यक्तियों की एक समिति का गठन -

वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्र सं0 135 / 1-व.ग्रा.वि. / 2001 -8 (5) / 2001 देहरादून
दिनांक 1फरवरी 2001 ।

समिति का स्वरूप निम्नवत है।

- 1- श्री ब्रजेन्द्र सिंह ,अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक ,कार्बेट पार्क
- 2-मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ,उत्तरांचल (संयोजक)।
- 3- निदेशक ,वन्य जीव संरक्षण संस्थान द्वारा नामित एक प्रतिनिधि ।

7.

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ :-

उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1285/X-1-2005-14 (77) 2005 दिनांक 31.8.2005 द्वारा लोक सूचना अधिकारी:-

क्र० सं०	विभाग / शाखा	लोक प्राधिकारी इकाई का नाम	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	वन विभाग उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा

8.

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित):—

प्रभाग में अधिकारियों / कर्मचारियों के पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व हेतु जो शासनादेश निर्गत किये गये हैं, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारियों के उत्तरदायित्व अलग-अलग हैं। उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभाग का मुखिया होता है। प्रभाग के कार्यों का अनुश्रवण व मूल्यांकन करना तथा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करना व वित्तीय अधिकार का प्रयोग करना है। विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या— 2 में पूर्व में दिया गया है।

9.

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-

क्र० सं०	अधिकारी/ कर्मचारी का पदनाम	पता	दूरभाष/ मोबाईल संख्या
1	प्रभागीय वनाधिकारी	पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़	05964 / 225234 (का०)
			9412095665 / 941208412
			05964 / 225390(आ०)
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी, डीडीहाट	उप वन प्रभाग डीडीहाट मुख्यालय-पिथौरागढ़	9411194811
3	उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग	उप वन प्रभाग बेरीनाग मुख्यालय-बेरीनाग	9756308888
4	वन क्षेत्राधिकारी	पिथौरागढ़	9458192421
5	वन क्षेत्राधिकारी	डीडीहाट	9456703474
6	वन क्षेत्राधिकारी	अस्कोट	8476046744 05964 / 238731(का०)
7	वन क्षेत्राधिकारी	धारचूला	9412106752 05967 / 220116 (का०)
8	वन क्षेत्राधिकारी	मुनस्यारी	9412925574
9	वन क्षेत्राधिकारी	बेरीनाग	9458192423
10	वन क्षेत्राधिकारी	गंगोलीहाट	9458192422
सैक्शन			
11	सैक्शन अधिकारी थलकेदार	थलकेदार	-
12	सैक्शन अधिकारी चण्डाक	चण्डाक	-
13	सैक्शन अधिकारी दिगतोली	दिगतोली	-
14	सैक्शन अधिकारी ओगला	ओगला	-
15	सैक्शन अधिकारी ओखलढूंगा	ओखलढूंगा	-
16	सैक्शन अधिकारी डीडीहाट	डीडीहाट	-
17	सैक्शन अधिकारी हनिया	हनिया	-
18	सैक्शन अधिकारी अस्कोट	अस्कोट	-
19	सैक्शन अधिकारी घन्धूरा	घन्धूरा	-
20	सैक्शन अधिकारी बरम	बरम	-
21	सैक्शन अधिकारी कनार	कनार	-
22	सैक्शन अधिकारी खेत	खेत	-
23	सैक्शन अधिकारी पांगू	पांगू	-
24	सैक्शन अधिकारी तीजम	तीजम	-
25	सैक्शन अधिकारी गंगोलीहाट	गंगोलीहाट	-

26	सैक्शन अधिकारी दशाईथल	दशाईथल	-
27	सैक्शन अधिकारी गणाई	गणाई	-
28	सैक्शन अधिकारी बनकोट	बनकोट	-
29	सैक्शन अधिकारी बेरीनाग	बेरीनाग	-
30	सैक्शन अधिकारी खमलेख	खमलेख	-
31	सैक्शन अधिकारी कालीनाग	कालीनाग	-
32	सैक्शन अधिकारी मदकोट	मदकोट	-
33	सैक्शन अधिकारी मुनस्यारी	मुनस्यारी	-
34	सैक्शन अधिकारी डोर	डोर	-
35	सैक्शन अधिकारी गिरगाँव	गिरगाँव	-
वीट			
36	वीट अधिकारी थलकेदार	थलकेदार	-
37	वीट अधिकारी गुरना	गुरना	-
38	वीट अधिकारी सौडलेख	सौडलेख	-
39	वीट अधिकारी कल्पानीगाड़	कल्पानीगाड़	-
40	वीट अधिकारी दिगतोली	दिगतोली	-
41	वीट अधिकारी चण्डाक	चण्डाक	-
42	वीट अधिकारी ध्वज	ध्वज	-
43	वीट अधिकारी जौरासी	जौरासी	-
44	वीट अधिकारी लोड़ी	लोड़ी	-
45	वीट अधिकारी ओगला	ओगला	-
46	वीट अधिकारी सानदेव	सानदेव	-
47	वीट अधिकारी जाडापानी	जाडापानी	-
48	वीट अधिकारी नौलडा	नौलडा	-
49	वीट अधिकारी हनिया	हनिया	-
50	वीट अधिकारी कमतोली	कमतोली	-
51	वीट अधिकारी पयया	पयया	-
52	वीट अधिकारी कूणा	कूणा	-
53	वीट अधिकारी पं0घन्धूरा	पं0घन्धूरा	-
54	वीट अधिकारी पू0घन्धूरा	पू0घन्धूरा	-
55	वीट अधिकारी उ0घन्धूरा	उ0घन्धूरा	-
56	वीट अधिकारी कनार	कनार	-
57	वीट अधिकारी मजथाम	मजथाम	-
58	वीट अधिकारी उ0 डफिया	उ0डफिया	-
59	वीट अधिकारी कुरखेती	कुरखेती	-
60	वीट अधिकारी द0 डफिया	द0डफिया	-
61	वीट अधिकारी सिरथाम	सिरथाम	-
62	वीट अधिकारी दुग प्रथम	दुग प्रथम	-
63	वीट अधिकारी दुग द्वितीय	दुग द्वितीय	-

64	वीट अधिकारी दुग तृतीय	दुग तृतीय	-
65	वीट अधिकारी हीरागुमरी प्रथम	हीरागुमरी प्रथम	-
66	वीट अधिकारी हीरागुमरी द्वितीय	हीरागुमरी द्वितीय	-
67	वीट अधिकारी ज्योतिपांगू	ज्योतिपांगू	-
68	वीट अधिकारी सोबला	सोबला	-
69	वीट अधिकारी पौधार	पौधार	-
70	वीट अधिकारी धूरा	धूरा	-
71	वीट अधिकारी बोयल	बोयल	-
72	वीट अधिकारी लम्केश्वर	लम्केश्वर	-
73	वीट अधिकारी गौरादेवी	गौरादेवी	-
74	वीट अधिकारी सोर	सोर	-
75	वीट अधिकारी बासुकीनाग	बासुकीनाग	-
76	वीट अधिकारी बनकोट	बनकोट	-
77	वीट अधिकारी जल्ली	जल्ली	-
78	वीट अधिकारी उ० कोटेश्वर	उ० कोटेश्वर	-
79	वीट अधिकारी द० कोटेश्वर	द० कोटेश्वर	-
80	वीट अधिकारी बेरीनाग	बेरीनाग	-
81	वीट अधिकारी चौकोडी बेरीनाग	चौकोडी बेरीनाग	-
82	वीट अधिकारी खमलेख	खमलेख	-
83	वीट अधिकारी दशौली	दशौली	-
84	वीट अधिकारी कालीनाग	कालीनाग	-
85	वीट अधिकारी अट्ठासी	अट्ठासी	-
86	वीट अधिकारी गोल्फा	गोल्फा	-
87	वीट अधिकारी मदकानी	मदकानी	-
88	वीट अधिकारी जीमिया	जीमिया	-
89	वीट अधिकारी खुलिया	खुलिया	-
90	वीट अधिकारी हूम प्रथम	हूम प्रथम	-
91	वीट अधिकारी हूम द्वितीय	हूम द्वितीय	-
92	वीट अधिकारी नामिक प्रथम	नामिक प्रथम	-
93	वीट अधिकारी नामिक द्वितीय	नामिक द्वितीय	-
94	वीट अधिकारी मजियाकाडाण्डा प्रथम	मजियाकाडाण्डा प्रथम	-
95	वीट अधिकारी मजियाकाडाण्डा द्वितीय	मजियाकाडाण्डा द्वितीय	-

10.

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक परिलब्धि और उसके निर्धारण की पद्धति प्रभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण व मासिक परिलब्धी निम्न प्रकार से है:-

वेतनमान	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कार्यरत पदों के आधार पर मासिक अनुमानित वेतन
15600-39100	उप वन संरक्षक	1	1	107994
15600-39100	उप प्रभागीय वनाधिकारी	2	3	185994
9300-34800	वन क्षेत्राधिकारी	8	-	-
9300-34800	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	1	47075
9300-34800	उप वन रेंजर	14	12	517500
9300-34800	वन दरोगा	62	43	1892774
9300-34800	सर्वेयर	1	-	-
9300-34800	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	35450
9300-34800	प्रशा०अधि०	1	-	-
5200-20200	प्रधान सहायक	1	1	34068
5200-20200	वरिष्ठ सहायक	4	4	101364
5200-20200	कनिष्ठ सहायक	4	4	91048
9300-34800	लेखाकार	1	-	-
5200-20200	सहायक लेखाकार	1	-	-
9300-34800	आशुलिपिक ग्रेड-2	1	-	-
9300-34800	मानचित्रकार	1	2	110352
5200-20200	वाहन चालक ग्रेड-4	5	2	38674
5200-20200	वन आरक्षी/वन रक्षक	117	85	2095505
4440-7440	जमादार अर्दली	1	1	27632
4440-7440	अर्दली/क्षेत्र परिचर	5	5	102095
4440-7440	डाकिया	4	5	120470
4440-7440	चौकीदार	14	11	270128
4440-7440	माली	11	8	192752
4440-7440	स्वच्छक	1	1	21480
4440-7440	टेलीफोन मिस्त्री	-	1	26452
	योग:-	262	191	6018807

अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों का निर्धारण शासन स्तर से किया जाता है।

11.

वर्ष 2013-14 ¼माह 03/14 तक½ में योजनावार वित्तीय/भौतिक उपलब्धि
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

आयोजनेत्तर पक्ष

धनराशि लाख रुपये में

योजना का नाम	मानक मद	अवमुक्त धनराशि अंतर्गत भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (लाख रू० में)
2406-01-101-03-00 वनों की सुरक्षा	29 अनुरक्षण	विविध व्यय लमसम	0.10
		योजना का योग-	0.10
2406-01-105-04-00 लीसा	42 अन्य व्यय	लीसा गडान-ढुलान कार्य	43.80
	29 अनुरक्षण	अनुरक्षण कार्य	0.50
		योजना का योग-	44.30
2407-बागान 60 अन्य 800 अन्य व्यय 64-00 बागान	29 अनुरक्षण	पौधालय अनुरक्षण	1.50
कुल योग आयोजनेत्तर (बागान सहित):-			45.90

**जिला सैक्टर / राज्य सैक्टर / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की
वित्तीय उपलब्धि वर्ष 2013-14**

(अ) जिला सैक्टर योजनाएँ वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक) (पिथौरागढ़ वन प्रभाग)
(धनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	योजना / मद का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	क्रमिक व्यय
1.	वन संचार साधन योजना	50.20	50.20	50.20
	योजना का योग:-	50.20	50.20	50.20
2.	भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था योजना (सी.सी.एल.मद)	48.54	48.54	48.54
	योजना का योग:-	48.54	48.54	48.54
जिला सैक्टर का कुल योग:-		98.74	98.74	98.74
नोट:- वर्ष 2013-14 में जिला सैक्टर योजना की धनराशि एकमुश्त फारेस्ट डिपोजिट मद अंतर्गत जमा कर व्यय की गयी।				

(ब) राज्य सैक्टर योजनाएँ वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक) (पिथौरागढ़ वन प्रभाग)
(धनराशि लाख रु० में)

क्र.सं.	योजना / मद का नाम	अवमुक्त धनराशि	क्रमिक व्यय
1	2	3	4
1	औषधीय पौधों का संरक्षण, संबर्धन (सी०सी०एल०मद) (रोजगार परक वृक्षारोपण योजना)	1.32	1.32
	-तदैव- (कोषागार मद)	0.50	0.50
	योजना का योग:-	1.82	1.82
2	वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना- (सी०सी०एल०मद)	17.10	17.10
	-तदैव - कोषागार मद	2.13	2.13
	योजना का योग:-	19.23	19.23
3	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण (आरक्षित तथा सिविल सोयम वनों की विकास योजना)	4.54	4.54
	-तदैव- कोषागार मद	3.65	3.65
	योजना का योग:-	8.19	8.19
4	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (सि०सो० योजना)	23.13	23.13
5	जनजाति उप योजना (सि०सो० योजना)	51.20	51.20
6	जीवों के वास स्थलों का विकास (सी०सी०एल० मद)	0.00	0.00
	-तदैव- (कोषागार मद)	1.00	1.00
	योजना का योग:-	1.00	1.00
7	वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण	9.60	9.60
8	इन्टीग्रेटेड डेप्लेपमैन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेड	0.00	0.00

9	वनों की सुरक्षा योजना / अतिक्रमण रोकने के लिए सर्वे / डिमार्केशन (सी०सी०एल०मद)	4.00	4.00
	-तदैव- (कोषागार मद)	0.40	0.40
	योजना का योग:-	4.40	4.40
10	वन्य जन्तु परिरक्षण, बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास (सी०सी०एल०मद)	2.00	2.00
	-तदैव- (कोषागार मद)	0.40	0.40
	योजना का योग:-	2.40	2.40
11	उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण, मैनेजमेंट एवं प्लानिंग आथोरिटी (कैम्पा)	147.08	147.08
12	वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना (कोषागार मद)	1.49	1.49
13	बुग्यालों का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन (सी०सी०एल० मद)	8.00	8.00
	-तदैव- (कोषागार मद)	0.50	0.50
	योजना का योग:-	8.50	8.50
14	ईको टास्क फोर्स (सी०सी०एल०)	38.60	38.60
	(कोषागार मद)	108.00	108.00
	योजना का योग:-	146.60	146.60
15	मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम (कोषागार मद)	2.50	2.50
16	ओमन कम्पोनेन्ट अन्तर्गत नर्सरी विकास (कोषागार मद)	3.24	3.24
	राज्य सैक्टर का कुल योग:-	430.38	430.38

(स) केन्द्र सैक्टर योजनाएँ वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक) (पिथौरागढ़ वन प्रभाग)
(धनराशि लाख में)

क्र०सं०	योजना / मद का नाम	अवमुक्त धनराशि	कमिक व्यय
1	इन्टीग्रेटेड फारेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम (सी०सी०एल०मद)	6.66	6.66
	-तदैव- (कोषागार मद)	1.29	1.29
	योजना का योग:-	7.95	7.95
2	नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व की स्थापना	0.00	0.00
3	तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण (सी०सी०एल०)	99.45	99.45
	कोषागार मद	2.20	2.20
	योजना का योग:-	101.65	101.65
4	एफ.डी.ए.प्रोजेक्ट	26.00	26.00
5	ओ०एन०जी०सी०, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित-Ecolgical Rebuilding through Hill Bamboo (Ringal) Plantation	5.79	5.79
	योग:- केन्द्र पुरोनिधानित	141.39	141.39
	महायोग:- (जिला+राज्य+केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ)	670.51	670.51

जिला सैक्टर / राज्य सैक्टर / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं की
भौतिक उपलब्धि वर्ष 2013-14

1/2 जिला सैक्टर योजनाएं 2013-14 1/2 माह 3/14 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	कार्य विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	कमिक पूर्ति
1	2	3	4	5	5
1-	वन संचार साधन योजना	1. एप्रोच मार्ग में सी0सी0 कार्य	कि0मी	0.400	0.400
		2. वन मोटर मार्ग मरम्मत	कि0मी	1.00	1.00
		3. पैदल मार्ग जीर्णोद्धार	कि0मी	305.30	305.30
2-	भवन निर्माण एवं विजली पानी व्यवस्था योजना	1. टाइप- II भवन नव निर्माण	सं0	1	1
		2. भवनों का जीर्णोद्धार	सं0	18	18
		3. बिजली/पानी की व्यवस्था	सं0	6	6
		4. पर्दावाल मरम्मत/शौचालय निर्माण	लमसम	4	4

1/2)राज्य सैक्टर योजनाएं वर्ष 2013-14(माह 3/14 तक)

1	औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन (रोजगारपरक वृक्षारोपण योजना)	अग्रिम मृदा कार्य	g0	35	0
		वनीकरण अनुरक्षण	g0	15	अनुरक्षण जारी
		भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	l 0	60	0
		हरबल गार्डन रखरखाव	l 0	2	0
		सीड प्रोडेक्शन एरिया	l 0	30	0
2	वनों की अग्नि से सुरक्षा योजना	स्टेन्थनिंग ऑफ फायर लाइन्स इन रिजर्व फारेस्ट ऐरियाज	fdet0	700	1200
		स्टेन्थनिंग ऑफ फायर लाइन्स इन वन पंचायत ऐरियाज	fdet0	600	800
		फायर वाचरों का पारिश्रमिक	l 0	124	62
		मोटर मार्गों के दोनों ओर कटान फुकान	fdet0	361	0
		कू स्टेशन मरम्मत	l 0	1	1
		वाहन किराया	yel e	yel e	0
		प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण	yel e	yel e	0
		अन्य विविध व्यय (कोषागार मद)	yel e	yel e	yel e
3	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण (आरक्षित एवं सिविल सोयम वनों का विकास योजना)	अग्रिम मृदा कार्य	g0	0	0
		वनीकरण	g0	15	15
		भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	l 0	0	0

		अनुरक्षण (दो वर्षों का)	g0	45	45
		चारागाह विकास	g0	0	0
4	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (आरक्षित एवं सि0सो0 योजना)	अग्रिम मृदा कार्य	g0	70	0
		वनीकरण गत वर्ष का	g0	45	45 गत वर्ष पूर्ण
		वनीकरण अनुरक्षण	g0	45	45
5	जनजाति उपयोगना (आरक्षित एवं सि0सो0 योजना)	वनीकरण	g0	70	70
		अनुरक्षण	g0	255	255
		परकुलेशन टैंक	l 0	30	30
		अश्व मार्ग/पैदल मार्ग जीर्णोद्धार	fd0eh0	10	10
		प्राकृतिक जलश्रोत सुधार	l 0	4	4
		चैकडैम/रिटेनिंगवाल	l 0	60	60
		रेशा उत्पाद हेतु सिविल वनों में हिमालयन नेटम कण्डाली का रोपण	g0	50	50
6	जीवों के वास स्थलों का विकास (पूजीगत) (सी0सी0एल0 मद)	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	l 0	60	0
		उन्नत पिंजड़ा क्रय	l 0	2	0
		राहत टीम व वाहनों पर व्यय	yel e	yel e	0
7	वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढीकरण	अस्कोट-कफलानी मार्ग	fd0eh0	13	13
		देवदार-थलकेदार वन मोटर मार्ग	fd0eh0	5	5
		आदिचौरा-कफलानी वन मोटर मार्ग	fd0eh0	1.30	1.300
8	इन्टीग्रेटेड डेपलेपमैन्ट आफ वाइल्ड लाइफ हैविटेड	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण	yel e	yel e	0
		गुप्त सेवा	yel e	yel e	0
		पैट्रोलिंग	l 0	2	0
		ब्रिडल पाथ /पैट्रोलिंग पाथ मरम्मत	fd0eh0	25	0
		फायर लाईन मेन्टेनेन्स	fd0eh0	212	0
		फायर वाचर्स	l 0	20	0
9	वनों की सुरक्षा योजना/ अतिक्रमण रोकने के लिए	चैकपोस्ट/बैरियर सुदृढीकरण	l 0	3	3
		पेट्रोलिंग मार्गों का रखरखाव	fd0eh0	38	0
		यात्रा व्यय	yel e	yel e	0
		गुप्त सेवा व्यय	yel e	yel e	0
		भोजन व्यय	yel e	yel e	0
10	वन्य जन्तु परिरक्षण बचाव तथा प्राणी उद्यान केन्द्रों का विकास	वन चेतना केन्द्र रखरखाव	l 0	2	2
		वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण	fd0eh0	2	0
		वन मोटर मार्गों का रखरखाव	fd0eh0	21	0
11	उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण , मैनेजमैन्ट एवं प्लानिंग आथोरिटी (कैम्पा)	तालिका 1c			
		ओक प्लान्टेशन हेतु अ0म0कार्य	हे0	10	10
		बांज वनीकरण	हे0	20	20
		देवदार वनीकरण अनुरक्षण	हे0	50	50
		बांज पौध नर्सरी निर्माण	सं0	50000	50000
		बांज वनीकरण अनुरक्षण	हे0	52	52
		ओक नर्सरी अनुरक्षण	सं0	30000	30000
		देवदार वनीकरण	हे0	20	20
		देवदार नर्सरी अनुरक्षण	सं0	33000	33000
		मॉडल प्लान्टेशन	हे0	35	गतवर्ष पूर्ण
		मॉडल प्लान्टेशन अनुरक्षण	हे0	10	10
		तालिका 1d			
		1d.1.1 नर्सरी स्थापना	सं0	150000 पौध	150000 पौध
		1d.1.2 नर्सरी अनुरक्षण	सं0	525000 पौध	अनु0 पूर्ण

		1d.15.3 चाराविकास वनीकरण (गत वर्षों का वनीकरण)	हे0	12	12 विगत वर्ष पूर्ण
		1d.15.5 चाराविकास अनुरक्षण	हे0	12	12
		1d.2.1 वन पंचायतों में अग्रिम मृदा कार्य	हे0	50	50
		1d.2.5 चाराविकास वनीकरण (विगत वर्षों का वनीकरण)	हे0	79.57	79.57 विगत वर्ष पूर्ण
		1d.2.6 चाराविकास अनुरक्षण	हे0	31	अनु0 जारी
		1d.2.2 वन पंचायत में वनीकरण (विगत वर्ष का वनीकरण)	हे0	69.12	69.12 विगत वर्ष पूर्ण
		1d.2.4 चाराविकास अग्रिम मृदा कार्य	हे0	80	80
		1d.3.4 राज्य स्तरीय कार्यशाला	सं0	1	1
		1d.4.1 माइक्रोप्लानिंग	सं0	55	55
		1d.62 साइनेज फार पब्लिक इन्फार्मेशन	सं0	1	1
		तालिका 1e			
		1e.2.12 रोड सुरक्षा हेतु (बांस रोपण) अ0मृ0	हे0	10	10
		1e.2.14 रोड सुरक्षा हेतु (बांस रोपण) अनुरक्षण	हे0	3.33	3.33
		1e.2.13 रोड सुरक्षा हेतु (बांस प्लान्टेशन)	हे0	3.33	3.33 गत वर्ष पूर्ण
		1e.2.16 ग्रीनिंग आफ डिस्ट्रिक्ट क्वाटर प्लान्टे0	हे0	22	22 गत वर्ष पूर्ण
		तालिका 1f आपरेशनल व्यय	लमसम	लमसम	लमसम
		तालिका 2			
		2a.4.1 क्षतिपूरक वनीकरण अनुरक्षण	हे0	161	161
		तालिका 4			
		रोड साइड प्लान्टेशन हेतु वनीकरण कार्य	हे0	44.12	44.12
		गैप फिलिंग हेतु वनीकरण कार्य	हे0	103.35	103.35
	उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण , मैनेजमेंट एवं प्लानिंग आथोरिटी (कैम्पा) अस्कोट मृग विहार	1.a.1 बाउन्ड्री पिलर नये	सं0	215	215
		1.a.2.2 बाहन किराये पर लेना	सं0	2	2
		1.a.5.1 बैरियर आधुनिकीकरण	सं0	3	3
		1.a.6.2 भवन जीर्णोद्धार	सं0	2	2
		1.a.6.5 हाईएल्टीट्यूड चैट्रोलिग सैल्टर	सं0	1	1
12	वन पंचायतों की सुदृढीकरण योजना	लमसम	लमसम	लमसम	लमसम
13	बुग्यालों का संरक्षण एवं सम्वर्द्धन	पहुंच मार्ग जीर्णोद्धार	कि0मी0	8	0
14	ईको टास्क फोर्स	वनीकरण	ग0	700	700
		अग्रिम मृदा कार्य	ग0	700	500
15	ओमन कम्पोनेन्ट अन्तर्गत नर्सरी विकास	नर्सरी विकास	सं0	4	4
		प्रशिक्षण	सं0	2	2

1/स)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक)

1	इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम	कन्ट्रोल बर्निंग	हे०	5000	0
		फायर लाईन मेन्टेनेन्स	किमी०	125	297
		वाटर स्टोरेज टैंक निर्माण	सं०	4	4
		फायर वाचर	सं०	15	83
		फायर प्लान	सं०	1	0
		अतिक्रमित झड़ियों का नष्ट करना	हे०	20	54
		बैठक आदि	सं०	लमसम	0
		प्रकाशन	सं०	लमसम	0
		प्रशिक्षण / जन जागरूकता	सं०	7	0
2	नन्दादेवी बायोस्फेयर रिजर्व की स्थापना	भूमि संरक्षण कार्य	सं०	50	0
		सोलर लालटेन क्रय	सं०	20	0
		जड़ी-बूटी पौध रखरखाव	सं०	30000	0
		अन्य पौधालयों का रखरखाव	सं०	25000	0
		वन मार्गों का रखरखाव	किमी०	5	0
		लोकल ऊन क्रय	किग्रा०	10	0
		फल पौध क्रय / वितरण	सं०	500	0
		प्रशिक्षण	सं०	लमसम	0
3	तेरहवे वित्त आयोग के अन्तगत वनों का अनुरक्षण	वनीकरण (पूजीगत)	g०	332	332
		अग्रिम मृदा कार्य (पूजीगत)	g०	257	277
		सीडलिंग	g०	95	0
		सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन	g०	659	0
		हैविटेड मैनेजमेंट	g०	430	0
		आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण	l ०	2	0
		कल्चरल आपरेशन	g०	150	0
		रिनोवेशन आफ एफ.आर.एच. / हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स	l ०	1	0
		ब्रिडल पाथ मरम्मत	fdel०	10	100
		वनीकरण अनुरक्षण	g०	67	67
		यात्रा व्यय	yel e	लमसम	
4	एफ०डी०ए००प्रोजेक्ट	वनीकरण अनुरक्षण	g०	434	अनुरक्षण जारी
		अग्रिम मृदा कार्य / भूमि संरक्षण कार्य	g०	50	50
5	ओ०एन०जी०सी०, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित- Ecological Rebuilding through Hill Bamboo (Ringal) Plantation	वनीकरण अनुरक्षण	g०	50	50
		वनीकरण कार्य	g०	0	0
		अग्रिम मृदा कार्य	g०	0	0

12.

अनुदान / राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

1. वन्य जीवों से जानमाल की हानि की दशा में आर्थिक अनुग्रह सहायता निम्न दरों पर शासनादेश संख्या 2212/X-2-2-005/19(37)/2001 दि० 28.07.2005 तथा शासनादेश सं० 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दि० 10.12.2012 द्वारा निर्गत अधिसूचना के मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली-2012 अनुसार भुगतान किया जाता है।

अनुग्रह राशि का हकदारी:-

- बाघ, तेंदुआ, हिमतेंदुआ (स्नोलेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकडभग्गा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घडियाल, सॉप के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर।
- बाघ, तेंदुआ, हिमतेंदुआ (स्नोलेपर्ड), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकडभग्गा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घडियाल, सॉप द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने की क्षति।
- जंगली हाथी, जंगली सुअर, नीलगॉय, काकड, साभर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति।
- जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति।

अनुग्रह राशि की भुगतान की दरें निम्नानुसार हैं:-

(क) मानव मृत्यु, घायल व विकलांग होने पर

क्षति का प्रकार	अनुग्रह राशि (रू० में)
साधारण रूप से घायल	15,000 / -
गम्भीर रूप से घायल	50,000 / -
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000 / -
पूर्ण रूप से अपंग	2,00,000 / -
व्यस्क व अव्यस्क की मृत्यु पर	3,00,000 / -

(ख) पालतू पशु के मारे जाने की क्षति

पशु का प्रकार	अनुग्रह राशि (रु० में)
गाय	15,000 / -
घोडा,खच्चर	40,000 / -
बैल (03 वर्ष से अधिक आयु)	15,000 / -
भैंस (03 वर्ष से अधिक आयु)	15,000 / -
गाय का बछडा/बछिया तथा भैंस का पडुवा/पडिया	
(क) दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम आयु	2,000 / -
(ख) एक वर्ष से दो वर्ष की आयु	1,000 / -
(ग) एक वर्ष से कम आयु तक	500 / -
बकरी/भेड	3,000 / -

(ग) फसलों को होने वाली क्षति

कृषि फसल का प्रकार	क्षति की मात्रा	अनुग्रह राशि (रु० में)
गन्ना	सम्पूर्ण फसल	25,000 / - प्रति एकड़
धान/गेहूँ/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	15,000 / - प्रति एकड़
उपरोक्त फसलो को छोडकर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	8,000 / - प्रति एकड़

(घ) जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति

मकान का प्रकार	क्षति की मात्रा	अनुग्रह राशि (रू० में)
कच्चा मकान	पूर्ण रूप से	25,000 / -
कच्चा मकान	आंशिक रूप से	20,000 / -
झोपडी, ट्टर से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर		5,000 / -
पक्के मकान की चाहरदीवारी की क्षति तथा पक्के मकान की आंशिक क्षति	चाहरदीवारी हेतु आंशिक एवं पूर्ण क्षति पर तथा पक्के मकान की आंशिक क्षति पर	15,000 / -
पक्का मकान	पूर्ण क्षति	50,000 / -

- वन्य जीव द्वारा किसी व्यक्ति को मारे जाने, अपंग करने अथवा घायल करने पर व्यक्ति/परिजनों को देय राहत धनराशि का 30% घटना की पुष्टि ग्राम प्रधान अथवा किसी वर्तमान में पदासीन जनप्रतिनिधि एवं सम्बन्धित वन रक्षक द्वारा संयुक्त रूप से कर दी जाने के आधार पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा की जायेगी। शेष 70% धनराशि का भुगतान राज्य के चिकित्सक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के क्रम पर संबन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्यजीव प्रतिपालक की अन्तिम जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा किया जायेगा और इस प्रकार किये गये भुगतान को सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी {प्रस्तर-9.1-(एक व तीन)}। इसी प्रकार पशु और फसल क्षति पर देय मुआवजा धनराशि के भुगतान की प्रक्रिया को भी सरलीकृत किया गया है। जिसका पूर्ण विवरण नियमावली की प्रस्तर-9 में दिया गया है।

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तरांचल देहरादून के पत्रांक 2888/25-1 दि० 12.4.05 द्वारा प्राधिकृत अधिकारों के प्रयोग करते हुए जंगली जानवरों द्वारा मारे/घायल/मवेशी के आश्रितों के केश स्वीकृत करने तथा भुगतान करने का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी को दिया गया है। वर्तमान में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। समय-समय पर संशोधित शासनादेशों के अनुसार मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रभाग द्वारा की जायेगी।

2. शासनादेश संख्या ए-2-1271/दस-2000-24(15)/95 दिनांक 19.9.2000 द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र में वन प्रबन्ध हेतु जन सहयोग प्राप्त करने हेतु स्थानीय ग्रामवासियों को उनके निजी उपयोग जैसे मकान बनाने/मरम्मत करने, गौशाला एवं कृषि उपकरण निर्माण हेतु तथा लोक हित के कार्यों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उचित मूल्य पर सूखे/उखड़े एक वृक्ष दो घनमीटर तक पी०डी० पर स्वीकृति प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के आधार पर प्रदान करने का अधिकार वन संरक्षक को दिया गया है।
3. उत्तरांचल वन पंचायती नियमावली, 2001 के तहत वन पंचायतों से स्थानीय जनता को उनके घरेलू उपयोग हेतु सूखे/गिरे एक वृक्ष को स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार सरपंच के प्रस्ताव पर वन अधिकारी को है।
4. जिन ग्रामों में हक-हकूक सुविधा उपलब्ध है, उन स्थानीय ग्राम वासियों को सूखे व गिरे वृक्ष हक-हकूक पर दिये जाते हैं। हक-हकूक पर देने से पूर्व ग्राम प्रधानों से इन्डैन्ट प्राप्त किये जाते हैं। ग्राम प्रधानों से इन्डैन्ट प्राप्त होने पर स्थानीय ग्रामवासियों को हक-हकूक पर सूखे गिरे वृक्ष प्रदान किये जाते हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि० 12.12.1996 के बाद परिवर्तित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में दिये हक-हकूक की 40 प्रतिशत सीमा तक हक-हकूक छपान करने के आदेश हैं। हक-हकूक हेतु ग्रामसभाओं से जितने प्रस्ताव प्राप्त हुए उसी के अनुसार छपान किया जाता है।
5. स्थानीय जनता को आरक्षित, सिविल, पंचायती वनों में पशुओं का चरान-चुगान निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

13.

रियायतों/अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :-

1. कार्ययोजना व मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत ग्रामीण जनता को उनकी माँग के अनुसार हक-हकूक प्रत्येक वर्ष अनुमन्य मात्रा की 40 प्रतिशत सीमा तक सूखे व उखड़े वृक्षों को दिया जाता है।
2. इसी प्रकार ग्रामवासियों की माँग को ध्यान में रखकर पी०डी० (लघु माँग) पर भी (प्रतिबन्धित वृक्षों को छोड़कर) वृक्ष रियायती दरों पर दिये जाते हैं। जिसका रख-रखाव प्रभागीय स्तर पर किया जाता है।
3. आरक्षित/सिविल/पंचायती वनों से गैर प्रकाष्ठ वन उपज निकालने हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं तथा प्राप्त गैर प्रकाष्ठ वन उपज को बाहर ले जाने हेतु अनुज्ञापत्र/रवन्ना जारी किये जाते हैं।

14.

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम :-

प्रभाग में प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी शासन द्वारा प्रतिनिर्धारित शासकीय नियमों एवं कर्मचारी आचरण संहिता से बंधा हुआ है। अतः तदनुसार ही प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मापदण्ड स्थापित कर अपने कृत्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन राजकीय एवं जनहित में किया जाता है।

15.

किसी इलैक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध सूचना में ब्यौरे :-

प्रभाग में प्रोजेक्ट व मासिक सूचनायें ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। पत्रकार बन्धुओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं व आम जनता को जो भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है वह पूर्व से ही दी जा रही है। भविष्य के लिये भी सूचनाओं के आदान प्रदान की कार्यवाही की जाती रहेगी।

16.

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष आदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो तो उसका विवरण :-

वर्ष 2002 से पूर्व समस्त अभिलेख व पत्रावलियाँ मैनुअल टाइपराईटरों / हस्तलिपि द्वारा तैयार किये गये हैं। पंजिकाओं के रूप में रखे गये विभिन्न अभिलेखों का हस्तलिपि से रखरखाव किया जा रहा है। वर्तमान में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध हो जाने से विभिन्न प्रकार के प्रोजैक्ट व मासिक परिलेख कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। कार्यालय में पुस्तकालय या वाचन कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है।


बिन्दु संख्या 17 अन्य सूचनाओं का संग्रहण :-

17.1

Name of Forest Zone : KUMAON ZONE.

Namer of the Forest Office : Pithoragarh Forest Division, Pithoragarh.

Name of the District to which the Division belong to : Pithoragarh.



17.2 वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक)में विभागीय वृक्षारोपण का विवरण:-

विभागीय वृक्षारोपण		
	लक्ष्य	उपलब्धि
हे०	1350.92+ 44.12Km.	1350.92+ 44.12Km.
पौध संख्या	16.22 लाख	16.22 लाख

17.3 लीसा उत्पादन की वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक) की सूचना (वर्ष 2013 लीसा फसल):-

क्र०सं०	वनों का प्रकार	कुल उत्पादित लीसा मात्रा (कु०)
1	सिविल	40.04
2	पंचायती वन	1469.17
	योग	1509.21

17.4 वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृत/लम्बित प्रकरणों का सारांश वर्ष 2013-14:-
(माह 3/2014 तक की स्थिति)

स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	मोटर मार्ग	अन्य
32	22	10

कुल लम्बित प्रकरणों की संख्या	भारत सरकार स्तर पर लम्बित	उत्तराखण्ड शासन स्तर पर लम्बित	नोडल अधिकारी स्तर पर लम्बित	प्रभाग स्तर पर लम्बित मामले	प्रस्तावक विभाग स्तर पर लम्बित
47	16	01	05	00	25

17.5 पिथौरागढ़ वन प्रभाग अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न प्रकार के भवनों का विवरण:-
(माह 3/2014 तक की स्थिति)

विवरण	कार्यालय भवन	आवासीय भवन						वन विश्राम भवन	अनावासीय/ विविध भवन	सम्पूर्ण योग
		टाइप-1	टाइप-2	टाइप-3	टाइप-4	टाइप-5	योग			
संख्या	12	87	91	8	4	0	190	22	18	242
प्लिनथ ऐरिया (वर्गमी0)	960.08	3713.97	5520.09	686.73	420.00	0	10340.79	2040.47	786.00	14127.34

17.6 पिथौरागढ़ वन प्रभाग के वन मोटर मार्गों/पैदल मार्गों की सूची:-

रेंज	वन मोटर मार्ग की लम्बाई (किमी०)	रेंज	पैदल मार्ग की लम्बाई (किमी०)
पिथौरागढ़	26.00	पिथौरागढ़	64.35
अस्कोट / डीडीहाट	46.595	अस्कोट	221.86
मुनस्यारी	0.92	डीडीहाट	81.80
बेरीनाग	3.835	मुनस्यारी	79.22
योग-	77.35	बेरीनाग	52.27
		गंगोलीहाट	73.07
		धारचूला	48.84
		योग-	621.41

17.7 एफ०डी०ए०:- इस वन प्रभाग अंतर्गत कुल 24 ग्रामों में एफ०डी०ए० अंतर्गत माइक्रोप्लान अनुसार कार्य किया जा रहा है।

17.8 अनुग्रह राशि का भुगतान:- पिथौरागढ़ वन प्रभाग अंतर्गत वर्ष 2013-14 में (माह 3/14 तक) जंगली जानवरों द्वारा मृत/घायल/फसल क्षति पर अनुग्रह राशि का भुगतान:-

विवरण	संख्या	भुगतान की धनराशि (रु०)
मृतक	12	1400000
घायल	13	195000
मवेशी	394	1400000
फसल क्षति	1 एकड़	3500
	योग:-	2998500

17-9 पी०डी० एंव हक:- प्रभाग अंतर्गत वर्ष 2013-14 (माह 3/14 तक) में रियायती दर (पी०डी०) में दिये गये प्रकाष्ठ एंव निःशुल्क (हक-हकूक) का विवरण:-

रियायती दर (पी०डी०) अंतर्गत उपलब्ध कराये गये प्रकाष्ठ की मात्रा			निःशुल्क (हक-हकूक) वितरित प्रकाष्ठ की मात्रा घ०मी० में		
वृक्ष सं०	घ०मी०	मूल्य (रु०)	मकान हेतु	गौशाला हेतु	योग
8	13.84	21554/-	37.394	7.9384	45.3324

17-10 जनपद अंतर्गत वन पंचायतों की संख्या:- पिथौरागढ़ जनपद अंतर्गत कुल 1615 वन पंचायतें हैं
जिनका रेंजवार / विकासखण्डवार विवरण निम्नवत् है:-

रेंज का नाम	विकास खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (है०)
पिथौरागढ़	विण	5692.69
	मूनाकोट	5539.58
डीडीहाट	डीडीहाट	4596.27
	कनालीछीना	7231.66
	मुनस्यारी	2445.43
अस्कोट	धारचूला	11745.90
	कनालीछीना	1407.24
	डीडीहाट	1917.97
	मुनस्यारी	613.11
धारचूला	धारचूला	81333.84
मुनस्यारी	मुनस्यारी	143369.03
बेरीनाग	बेरीनाग	4837.36
गंगोलीहाट	गंगोलीहाट	6445.01
योग:-		277175.09

लोक सूचना अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

